

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

शिमला-4, 24 अगस्त, 2009

संख्या वि० स०-लैज-गवरनमेंट बिल/1-34/2009.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 19) जो आज दिनांक 24 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

2009 का विधेयक संख्यांक 19

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 है ।

2. धारा 7 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 7 में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि ईंट भट्ठा स्वामी के सिवाय कोई भी रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी, जो विक्रय के लिए या विक्रय के लिए किसी भी प्रकार के माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग के लिए, किसी माल का आयात करता है, तो वह इस धारा के अधीन उपधारणात्मक कर का संदाय करने का हकदार नहीं होगा।” ।

3. धारा 10 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 10 में “तीस दिन” शब्दों के स्थान पर “दस दिन” शब्द रखे जाएंगे ।

4. धारा 11 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 11 में —

(क) उपधारा (4) के खण्ड (ख) में “ से अन्यथा” शब्दों से पूर्व “द्वारा” शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपधारा (5) में विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ग) उपधारा (15) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(16) यदि कोई व्यौहारी, अपनी विवरणी में आगत कर प्रत्यय का मिथ्या दावा करता है या आगत कर प्रत्यय जिसका वह हकदार नहीं है प्राप्त करता है, या अपनी विवरणी में कर की उस रकम जो संदत्त नहीं की गई है या वास्तव में संदत्त नहीं की गई थी की बाबत आगत कर प्रत्यय का दावा करता है तो आयुक्त या निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यौहारी को, उसके द्वारा संदेय कर और ब्याज के अतिरिक्त, ऐसे दावों या प्रत्यय की रकम से दुगुनी राशि के बराबर रकम, शास्ति के रूप में संदत्त करने का निर्देश देगा।”।

5. धारा 14 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 14 में उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(7) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मिथ्या रजिस्ट्रीकरण नम्बर का प्रयोग करता है या इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन करने के आशय से किसी अन्य व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण नम्बर का प्रयोग करता है, तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे उस कर के अतिरिक्त जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या वह निर्धारण के लिए दायी है, अपवंचित कर की रकम या जिसका अपवंचन करने का प्रयास किया गया है के बराबर की रकम, शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा।”।

6. धारा 15 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 15 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु प्रतिभूति, दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु एक वर्ष के लिए अनुमानित कर के दायित्व से अधिक नहीं होगी।”।

7. धारा 16 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(6-क) यदि कोई व्यौहारी विहित तारीख तक बिना किसी पर्याप्त हेतुक के विवरणी तैयार करने में असफल रहता है, तो वह शास्ति के रूप में पांच हजार रुपए की राशि संदत्त करने के लिए दायी होगा।” ;

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(7) यदि व्यौहारी पर्याप्त हेतुक के बिना, उपधारा (4) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यौहारी को, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस कर की रकम जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या जिसके निर्धारण के लिए वह दायी है के अतिरिक्त, कर की रकम जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या धारा 21 के अधीन जिसके निर्धारण के लिए वह दायी है के—

(i) दस प्रतिशत के बराबर, पन्द्रह दिन तक के विलम्ब के लिए;

(ii) पच्चीस प्रतिशत के बराबर, पन्द्रह दिन से अधिक, किन्तु तीस दिन से अनधिक विलम्ब के लिए; और

(iii) पचास प्रतिशत के बराबर, तीस दिन से अधिक विलम्ब के लिए;

की रकम शास्ति के रूप में देने के निदेश दे सकेगा।” ; और

(ग) उपधारा (8) में “ऐसी रकम जो पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी किन्तु जो कर की रकम से डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्धारण किया जाता है” शब्दों के स्थान पर “कर की रकम, जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या निर्धारण किए जाने के लिए दायी है, की दुगुनी के बराबर रकम” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

8. धारा 17 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) में “ऐसी उपधारा (1) के अधीन कटौती योग्य कर की रकम के दुगुने से अनधिक राशि के रूप में संदत्त करेगा” शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर “वह उपधारा (1) के अधीन कटौती योग्य कर की रकम के बराबर राशि, शास्ति के रूप में संदत्त करेगा ” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

9. धारा 19 का संशोधन.—मूल अधिनियम के अंग्रेजी पाठ में, धारा 19 की उपधारा (2) में “as the case any be” शब्दों के स्थान पर “as the case may be” शब्द रखे जाएंगे ।

10. धारा 20 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) में “से अनधिक” शब्दों के स्थान पर “की” शब्द रखा जाएगा ।

11. धारा 21 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के भाग (1) में “अक्तूबर” शब्द के स्थान पर “दिसम्बर” शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (7) में “यह निदेश कर सकेगा कि व्यौहारी इस प्रकार निर्धारित रकम के अतिरिक्त ऐसी राशि जो पन्द्रह प्रतिशत से अन्यून होगी, किन्तु जो उस रकम के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी, शास्ति के रूप में संदत्त करेगा” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “यह निदेश करेगा कि व्यौहारी निर्धारित कर की रकम के अतिरिक्त, इस प्रकार निर्धारित कर की रकम के बराबर की राशि, शास्ति के रूप में संदत्त करेगा” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ; और

(ग) मूल अधिनियम के अंग्रेजी पाठ में उपधारा (9) में शब्द “therefore” के स्थान पर “therefor” शब्द रखा जाएगा ।

12. धारा 28 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में “शास्ति की किसी रकम का,” शब्दों और चिन्ह के पश्चात् “दायित्व के अन्तिम अवधारण के पश्चात्,” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

13. धारा 30 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 30 में,—

(क) उपधारा (3) के खण्ड (घ) में “विक्रय” शब्द का लोप किया जाएगा; और

(ख) उपधारा 16 में “पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी” शब्दों के स्थान पर “दो हजार रुपए होगी” शब्द रखे जाएंगे, और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(17) यदि कोई व्यौहारी मिथ्या बीजक जारी करता है या प्राप्त करता है और बीजक को मिथ्या जानते हुए उस का प्रयोग करता है, तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस कर के अतिरिक्त जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या वह निर्धारण किए जाने के लिए दायी है, शास्ति के रूप में पांच हजार रुपए की रकम के बराबर की रकम या ऐसे बीजक में अन्तर्वलित कर की रकम से दुगुनी रकम, जो भी अधिक हो, संदत्त करने का निदेश दे सकेगा ।”।

14. धारा 33 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(3) व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के दायित्व के अभिनिश्चय के प्रारम्भ से, उसके कारबार की बाबत सत्य, शुद्ध और पूर्ण सूचना प्रकट करने के लिए आबद्ध होगा और यदि वह बिना किसी पर्याप्त हेतुक के ऐसी सूचना देने में असफल रहता है या उपधारा (1) के अधीन

विनिर्दिष्ट अधिकारी को मिथ्या या अशुद्ध सूचना देता है या क्रय या विक्रय की किन्हीं विशिष्टियों को छिपाता है, तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उसे कर की रकम जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या निर्धारित किए जाने के लिए दायी है, के पच्चीस प्रतिशत के बराबर की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा ।” ।

15. धारा 34 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 34 में,—

(क) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2—क) राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं में प्रवेश करने वाले या राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलने वाले माल यान या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केवल निकटम चैक पोस्ट या बैरियर से ही गुजरेगा, ऐसा न करने पर ऐसा स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, इस धारा के लिए उपबन्धित किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त, माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, शास्ति संदत्त करने के लिए दायी होगा ।” ;

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) प्रथम परन्तुक में “पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, किन्तु जो माल के मूल्य से पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर “पचास प्रतिशत के बराबर होगी,” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ii) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि जहां ऐसे यान द्वारा वहन किया गया माल, राज्य में उसके प्रवेश के पश्चात्, किसी यान या वाहन द्वारा राज्य से बाहर वाहित किया जाता है, तो यान या जलयान के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति पर यह साबित करने का भार होगा कि माल वास्तव में राज्य से बाहर गया है ।”;

(ग) उपधारा (6) में, “ ऐसी रकम के लिए जो माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो किन्तु जो माल के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी, विहित प्ररूप और रीति में, प्रतिभूति सहित या रहित, उसकी तुष्टि की प्रतिभूति देने या बन्ध पत्र निष्पादित करने” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “उसकी तुष्टि की प्रतिभूति माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के बराबर नकद या बैंक गारण्टी या बैंक ड्राफ्ट के रूप में देने” शब्द रखे जाएंगे । ;

(घ) उपधारा (7) में “ से अनधिक किन्तु जो माल के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं” शब्दों के स्थान पर “के बराबर” शब्द रखे जाएंगे; और

(ङ) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(12) जहां मालयान या जलयान का कोई प्रभारी व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट चैक पोस्ट या बैरियर के भारसाधक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो माल का परेषण करने वाले या माल के परेषिती की बाबत उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है या माल का वहन बिना दस्तावेजों के या वास्तविक दस्तावेजों के बिना करता है, तो अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे भारसाधक व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर की रकम शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश देगा । ” ।

धारा 44 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 44 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन, अधिकरण को प्रदत्त कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए अध्यक्ष से गठित एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना करेगी।

(1—क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन, अधिकरण को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन के लिए अधिकरण के लिए उतने सदस्य, जितने यह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी।”;

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(5) अधिकरण के समक्ष लाए गए समस्त मामले, विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे।”;

(ग) उपधारा (8) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु अधिकरण के समक्ष राज्य के मामलों का प्रतिनिधित्व, ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी या विधि अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रवर्तन में आने से साधारणतः कर के अपवंचन को नियंत्रित करने, स्वविवेकाधिकार हटाने, कर अनुपालना सुधारने, शास्तियों को युक्तिसंगत बनाने और बढ़ाने तथा पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अधिनियम के कतिपय उपबंधों को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके अतिरिक्त आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के झूठे दावों के दृष्टान्तों का परिहार करने और अधिकरण के कामकाज के संबंध में, और कर अधिकरण के कार्यकरण के संबंध में, अधिनियम के कतिपय उपबंधों में संशोधन करना अतिआवश्यक समझा गया है और ईट भट्टा स्वामियों को भी उपधारणात्मक कर के संदाय की सुविधा प्राप्त करने के लिए हकदार बनाया जा रहा है।

अतः उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 का समुचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मंत्री।

शिमला :

तारीख....., 2009

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से लागू किए जाएंगे और कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा । विभिन्न शास्तियों की मात्रा में वृद्धि, राजस्व की किसी हानि के बगैर, कर अनुपालना में सुधार लाएगी ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-----शून्य-----

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के उद्घरण

धाराएं :

7. उपधारणात्मक कर का उदग्रहण.—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जिसका सकल आवर्त किसी भी वर्ष में ऐसी रकम से अधिक नहीं होता है, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के बदले, यथास्थिति, विक्रयों या क्रयों के सम्पूर्ण कराधेय आवर्त पर धारा 6 में विनिर्दिष्ट दरों से अनधिक, ऐसी दरों पर, जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उपधारणात्मक कर संदत्त करेगा:

परन्तु ऐसे व्यौहारी को कोई आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) उपलब्ध नहीं होगा ।

परन्तु यह और कि कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जो विक्रय के लिए या विक्रय के लिए किसी भी प्रकार के माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग के लिए किसी माल का आयात करता है तो वह इस धारा के अधीन उपधारणात्मक कर का संदाय करने का हकदार नहीं होगा ।

10. अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति.—राज्य सरकार इसका ऐसा करने के आशय का अधिसूचना द्वारा कम से कम तीस दिन का नोटिस देने के पश्चात्, ऐसी ही अधिसूचना द्वारा “क”, “ख”, “ग” और “घ” अनुसूचियों में किसी भी प्रकार के माल का परिवर्धन या लोप कर सकेगी या अन्यथा इन अनुसूचियों में संशोधन कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

11. आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट).—(1) “इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट), जिसके लिए क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ‘क्रेता व्यौहारी’ कहा गया है), कर अवधि के दौरान उसके द्वारा कराधेय विक्रयों की बाबत दावा कर सकेगा—

(i) ऐसे क्रेता व्यौहारी द्वारा विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को, ऐसे माल के क्रय के आवर्त पर, जिसका उसके द्वारा कर अवधि के दौरान विक्रय किया गया है, संदत्त या संदेय आगत कर की रकम होगी ; और

(ii) इस धारा में यथा उपबन्धित के अनुसार संगणित और अनुज्ञात किया जाएगा तथा ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा जैसी विहित की जाएं ।

(2) आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त करने वाला व्यौहारी कर बीजक, रजिस्टर और लेखा बहियां ऐसी रीति में रखेगा जो विहित की जाएं ।

(3) आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट), सिवाय उस माल के, जिसके विषय में इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) अनुज्ञेय नहीं है, क्रेता व्यौहारी को, ऐसे कराधेय माल, जिसे उसके द्वारा कर अवधि के दौरान विक्रय किया गया है, के विक्रयों के आवर्त की बाबत और रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जो विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रखता हो, क्रय किए गए कराधेय माल पर संदत्त आगत कर (इनपुट टैक्स) की रकम की सीमा तक ही निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,—

- (क) राज्य में उनके द्वारा माल के विक्रय या पुनर्विक्रय; या
- (ख) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय; या
- (ग) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय; या
- (घ) खण्ड (क), (ख) या (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति के विक्रय के लिए कराधेय माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में कच्चे माल के रूप में या पूंजी माल के रूप में उपयोग; या
- (ङ.) खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति के विक्रय के लिए कराधेय माल के पात्रों (कन्टेनरज) या पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग:

परन्तु यदि इस प्रकार क्रय किया गया माल इस उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अंशतः उपयोग में लाया जाता है तो आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट), इस उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उनके उपयोग के विस्तार के अनुपात में, अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु यह और कि ईन्धनों और स्नेहकों पर आगत कर प्रत्यय, इस शर्त के अध्वधीन कि ऐसे ईन्धन और स्नेहक कराधेय माल के विनिर्माण या ऊर्जा के आबद्ध (कैपटिव) उत्पादन में प्रयुक्त किए गए हैं, उस विस्तार तक अनुज्ञात किया जाएगा जिस के द्वारा राज्य में संदत्त आगत कर (इनपुट टैक्स) की रकम 4 प्रतिशत से अधिक हो जाती है ।

(4) उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) उस विस्तार तक अनुज्ञात किया जाएगा जिस के द्वारा राज्य में संदत्त आगत कर (इनपुट टैक्स) की रकम—

- (क) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से अन्यथा राज्य से बाहर भेजे गए; और
- (ख) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से अन्यथा कराधेय माल के विनिर्माण या पैकिंग में प्रयुक्त किए गए, माल के क्रय पर चार प्रतिशत से अधिक हो जाती है ।

(5) क्रेता व्यौहारी द्वारा आगत कर प्रत्यय(इनपुट टैक्स क्रेडिट) का उस कर अवधि के लिए दावा नहीं किया जाएगा जिससे वह उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जिससे उसने माल का क्रय किया है, जब तक विहित प्ररूप में कर बीजक (मूल रूप में) आगत कर (इनपुट टैक्स) की रकम की अदायगी के साक्ष्य के रूप में, प्राप्त नहीं कर लेता है:

परन्तु सही और पर्याप्त कारणों को लिखित में अभिलिखित कर के और विहित रीति में, धारा 3 के अधीन नियुक्त आयुक्त या किसी व्यक्ति द्वारा यथा विहित की गई ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्वधीन ऐसे प्रत्यय (क्रेडिट) को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(6) पूंजी माल पर आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) तैयार माल के विनिर्माण और प्रसंस्करण के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध प्लांट और मशीनरी तक सीमित होगा और इस धारा के अधीन अनुज्ञेय आगत

कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने की तारीख से प्रारम्भ होगा और तीन वर्ष की अवधि से ऊपर के विक्रय की आवर्त पर संदेय कर के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि से पूर्व कारबार के बन्द होने की दशा में, कोई आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा और अग्रेषित आगत कर (इनपुट टैक्स), यदि कोई हो, समपहत किया जाएगा ।

(7) क्रेता व्यौहारी द्वारा, भी आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का न तो दावा किया जाएगा न ही उसे निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,—

(क) धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या पैकिंग में प्रयुक्त माल के क्रयों पर संग्रहीत कर के लिए ;

(ख) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात या राज्य के बाहर से आयात के अनुक्रम में किए गए क्रयों के लिए किसी भी अन्य देश या अन्य राज्य में संदत्त कर की बाबत ;

(ग) राज्य में,—

(i) किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या आकस्मिक व्यौहारी से, या

(ii) व्यौहारी से, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलम्बित किया गया हो, या

(iii) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जिसने धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन शमन स्वरूप धारा 7 के अधीन उपधारणात्मक कर स्वरूप या कर के बदले एक मुश्त रकम संदत्त करने का विकल्प दिया हो, से क्रय किए गए माल के लिए;

(घ) मुफ्त नमूने या दान या व्यक्तिगत उपयोग के रूप में प्रयुक्त माल के विक्रय के लिए ;

(ङ) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उपयोगों के लिए क्रय किए गये माल के लिए किन्तु जिनका प्राकृतिक आपदाओं सहित चोरी, हानि या नष्ट होने के किसी कारण से विक्रय नहीं किया गया हो ;

(च) उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट से अन्यथा पूंजी माल के क्रय के लिए;

(छ) कारबार बन्द करने के समय अविक्रीत बचे माल के स्टॉक के लिए, और यदि व्यौहारी ने पहले ही ऐसे क्रय किए गये माल के स्टॉक के लिए कोई आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) लिया हो, वहां ऐसे कारबार के बन्द होने पर प्रतिवर्तित कर उधार (रिवर्स टैक्स क्रेडिट) लगेगा ;

(ज) उपधारा (4) में यथा उपबन्धित के सिवाए माल के क्रय पर संगृहीत कर के लिए, किन्तु जिन्हें तत्पश्चात् राज्य के बाहर किसी स्थान पर अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय से अन्यथा, किसी रीति में भेजा गया है ;

(झ) उपधारा (4) में यथा उपबन्धित के सिवाए माल के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए गए माल के क्रय पर संगृहीत कर के लिए, और ऐसा विनिर्मित माल विक्रय से अन्यथा किसी रीति में राज्य के बाहर अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में भेजा गया है ;

(ञ) किसी भी प्रयोजन के लिए (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) अधिकार के अन्तरण के अधीन विक्रय हेतु माल के क्रय के लिए ;

(ट) क्रयों के लिए जहां,—

- (i) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के पास कर बीजक उपलब्ध न हो ; या
- (ii) हां साक्ष्य हो कि विक्रेता व्यौहारी द्वारा, जिससे माल क्रय किया गया है या क्रय किया गया कहा गया है, द्वारा कर बीजक जारी नहीं किया गया है ; और
- (iii) विक्रेता व्यौहारी द्वारा, जिससे क्रेता व्यौहारी ने माल क्रय किया है, द्वारा मूल कर बीजक में पृथक रूप से प्रभारित कर का व्यौरा अन्तर्विष्ट नहीं है ।

(ठ) ऐसे माल के क्रय का आवर्त जिसे कर अवधि के दौरान विक्रीत नहीं किया गया है ।

(8) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विहित रीति में किसी भी माल को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसकी बाबत आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) भाग में या पूर्ण रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा या व्यौहारियों के उस वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो भाग में या पूर्ण रूप में आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के हकदार नहीं होंगे ।

(9) यदि क्रय किया गया माल उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आशयित है और तत्पश्चात् उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट से भिन्न प्रयोजनों के लिए पूर्ण रूप से या अंशतः उनका उपयोग किया गया है, तो आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट), यदि ऐसे क्रय के समय उसका लाभ उठाया गया है, उस कर अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसा उपयोग हुआ है दावाकृत आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) से कम कर दिया जाएगा और ऐसी कमी ऐसी रीति में की जाएगी जो विहित की जा सकेगी ।

(10) इस धारा के उपबन्धों के अध्वधीन आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) जिसका पहले लाभ उठाया गया है प्रतिवर्तित हो जाएगा यदि,—

- (क) व्यौहारी कारबार बन्द कर देता है; या
- (ख) व्यौहारी को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है; या
- (ग) माल उपधारा (6) के खण्ड (घ), (ड.) या (छ) के अन्तर्गत आता है; या
- (घ) अधिक आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा किया गया है; या
- (ङ) क्रय किया गया माल विक्रेता व्यौहारी को ऐसे माल का क्रय करने की तारीख से तीन मास के भीतर वापस कर दिया गया हो ; या
- (च) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय कर से अधिक प्रभारित किए गए कर की रकम के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यौहारी से जमा पत्र (क्रेडिट नोट) प्राप्त किया जा चुका हो ; या
- (छ) कोई अन्य यथाविहित परिस्थितियां विद्यमान हों ।

(11) व्यौहारी प्रतिवर्ती आगत कर प्रत्यय (रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम धारा 19 की अधीन ब्याज सहित विवरणी दाखिल करने के लिए विहित अन्तिम तारीख से ठीक पश्चात्वर्ती तारीख से उस अवधि के लिए संदत्त करने का दायी होगा जिसके लिए ऐसा आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का इसके संदाय की तारीख तक दावा किया गया था ।

(12) जहां किसी क्रेता व्यौहारी को साख पत्र या नामें नोट जारी किया जा चुका है या यदि वह क्रय किए गए माल को वापस करता या नामंजूर करता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर अवधि के दौरान (जिससे माल का क्रय सम्बन्धित है) आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) जिसका उसके द्वारा लाभ उठाया गया है, या तो कम हो जाता है या अधिक हो जाता है, तो वह ऐसी कमी या अधिकता को उस कर अवधि की बाबत जिसमें उसे साख पात्र या नामें नोट जारी किया गया है या माल वापस किया या नामंजूर किया

गया है, विहित की जाने वाली शर्तों के अधीन उसे अनुज्ञात आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम को समायोजित कर क्षतिपूरित करेगा ।

(13) शुद्ध आगत कर प्रत्यय (नैट इनपुट टैक्स क्रेडिट) जिसका क्रेता व्यौहारी द्वारा लाभ उठाया जा सकेगा, की रकम निम्नलिखित सूत्र (फार्मूले) के आधार पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात् :-

शुद्ध आगत कर प्रत्यय= क+ख-ग

स्पष्टीकरण.—इस सूत्र (फार्मूले) में —

- (i) “क” आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम का द्योतक है जिसके लिए क्रेता व्यौहारी हकदार है; अवधि के दौरान उसके द्वारा कराधेय विक्रयों की बाबत इस धारा के अध्याधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा ;
- (ii) “ख” पूर्व अवधि से अग्रणीत किए गए परादेय आगत कर प्रत्यय (आउटस्टैंडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट) का द्योतक है; और
- (iii) “ग” उपधारा (10) के अधीन यथा अवधारित प्रतिवर्ती आगत कर प्रत्यय (रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट) को द्योतक करता है ।

(14) पद्धतियां, जो क्रेता व्यौहारी द्वारा वर्ष में उस परिमाण, जिस तक कराधेय विक्रय करने के अनुक्रम में माल विक्रीत, प्रयुक्त, उपभुक्त या आपूरित किया गया है या विक्रय करने, प्रयोग करने या आपूरित करने के लिए आशयित है, को अवधारित करने के लिए प्रयुक्त की गई है, उचित और युक्तियुक्त होगी :

परन्तु आयुक्त या धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, व्यौहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और लिखित में कारणों को अभिलिखित करके क्रेता व्यौहारी द्वारा अपनाई गई पद्धति को नामंजूर कर सकेगा और आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम को संगणित कर सकेगा ।

(15) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी विक्रय संव्यवहार किए बिना ही, दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को कर बीजक परचून बीजक, बिल या केश मेमों को राज्य सरकार के राजस्व को प्रबंचित करने के आशय से जारी करता है या इस आशय से जारी करता है जिसे कि सरकार अपने राजस्व से प्रबंचित हो जाए तो आयुक्त या धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी जांच पड़ताल जैसी वह ठीक समझे, करने के पश्चात् ऐसे कर बीजक, परचून बीजक, बिल या केश मेमों या अन्य बीजक जारी करने वाले या स्वीकार करने वाले ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को या तो भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से ऐसी तारीख, जैसी वह नियत करे, से आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ देने से इन्कार कर सकेगा ।

14. व्यौहारियों का रजिस्ट्रीकरण.—(1) कोई भी व्यौहारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी हो तब तक व्यौहारी के रूप में कारबार नहीं करेगा जब तक वह रजिस्ट्रीकृत न हो और उसके पास रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र न हो:

परन्तु आकस्मिक व्यौहारी की दशा में, पचास रुपए की फीस के भुगतान पर, निर्धारण प्राधिकारी या चैक पोस्ट या बैरियर का प्रभारी अधिकारी या किसी अन्य स्थान पर माल का निरीक्षण करने वाला कोई अन्य अधिकारी इस धारा के अधीन विधिमाम्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगा ।

(2) किसी भी व्यक्ति को जो हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए कारबार स्थापित करने का आशय रखता हो, इस बात के होते हुए भी कि वह उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है, को ऐसी शर्तों के अध्याधीन और ऐसी रीति में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए और ऐसा व्यक्ति जब जिसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो, अधिनियम के अधीन उस समय तक कर संदत्त करने का दायी होगा जब तक ऐसा प्रमाण पत्र प्रवृत्त रहता है:

परन्तु ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्रदान किया जाना ऐसी शर्तों के अधीन होगा कि यदि ऐसा व्यक्ति प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कारबार स्थापित करने में असफल रहता है या उसमें विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो वह निर्धारण प्राधिकारी के आदेश द्वारा कर की रकम के आधे के समतुल्य, जो उस द्वारा क्रय किए गए समस्त माल की बाबत संदेय होती मानो कि वह इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं था, शास्ति संदत्त करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह और कि कराधेय माल का विक्रय करने वाला कोई व्यौहारी, जो उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है परन्तु जो स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकृत होने की वांछा रखता है तो वह विहित की जाने वाली रीति में समुचित निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन करेगा और वह उस तारीख से, जिस को कि उसका सकल आवर्त धारा 4 की उपधारा (6) में यथा विनिर्दिष्ट कराधेय मात्रा से अधिक हो जाता है, धारा 4 के अनुसार कर संदत्त करेगा ।

(3) उपधारा (1) द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यौहारी और प्रत्येक व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकेगा, निर्धारण प्राधिकारी को इस निमित्त विहित रीति में आवेदन करेगा ।

(4) यदि निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सही रूप में है तो वह ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसी फीस के संदाय पर और यथा विहित की गई ऐसी शर्तों के अधीन आवेदक को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा ।

(5) जब कोई व्यौहारी उपधारा (1) के उल्लंघन में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो वह निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण इस प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि यह व्यौहारी के आवेदन पर उपधारा (4) के अधीन किया गया था ।

(6) निर्धारण प्राधिकारी आदेश द्वारा,—

(क) व्यौहारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का संशोधन कर सकेगा यदि व्यौहारी या उसका विधिक प्रतिनिधि यह सूचना प्रस्तुत करता है कि—

- (i) उसने अपना कारबार अन्तरित (ट्रान्सफर) कर दिया है, या
- (ii) उसने कारबार का नाम (संविधान) या उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया है, या
- (iii) वह कारबार का नया स्थान खोलना चाहता है या कारबार के स्थानों में या अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट पुनः विक्रय या विक्रय के लिए माल के निर्माण में उपयोग हेतु माल की श्रेणी या श्रेणियों में कोई परिवर्तन करना चाहता है;

(ख) किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को निलम्बित कर सकेगा यदि व्यौहारी या व्यक्ति ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया है ;

(ग) यथास्थिति, व्यौहारी या उसके विधिक प्रतिनिधि के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसे रद्दकरण तक कर संदत्त करने के दायित्व को प्रभावित किए बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर सकेगी,—

(i) यदि व्यौहारी अपने कारबार या कारबार के किसी स्थान का विक्रय करता है या अन्यथा निपटान करता है या अपना कारबार बन्द करता है, या

(ii) यदि व्यौहारी की मृत्यु हो जाती है, या

- (iii) किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के लिए, जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का दुरुपयोग या इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के दायित्व की परिवर्तित (समाप्ति) भी है:

परन्तु इस उपधारा के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं किया जाएगा; और

- (घ) ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जा सकेगी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण करेगा ।

15. व्यौहारियों के कतिपय वर्ग से प्रतिभूति.—(1) आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उस की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति को यदि इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर की उचित वसूली के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होता है तो वह कारणों को अभिलिखित करके, व्यौहारी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने या किसी व्यौहारी को जारी किए गए ऐसे प्रमाण पत्र के प्रभाव में बने रहने की शर्त के रूप में, यह अपेक्षा अधिरोपित कर सकेगा कि व्यौहारी ऐसी रकम के लिए विहित रीति में प्रतिभूति देगा जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी भी व्यौहारी से प्रतिभूति देना तब तक अपेक्षित नहीं होगा, जब तक उसे सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यौहारी द्वारा दी गई प्रतिभूति प्रतिभू-बंध-पत्र के रूप में है और प्रतिभू दिवालिया हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाता है अथवा मर जाता है या नाम वापस ले लेता है, तो वहां व्यौहारी, उपर्युक्त घटनाओं में से किसी के घटित होने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र देने वाले प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसी घटना के तीस दिन के भीतर एक नया प्रतिभू-बंधपत्र देगा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा, अच्छे और पर्याप्त हेतुक के लिए किसी व्यौहारी द्वारा संदेय कर, ब्याज या शास्ति की किसी रकम को वसूल करने के लिए व्यौहारी द्वारा दी गई सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा :

परन्तु व्यौहारी और प्रतिभूति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना, इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

(5) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी, व्यौहारी द्वारा आवेदन करने पर, उस द्वारा दी गई प्रतिभूति या उसके किसी भाग को वापस करने का आदेश कर सकेगा, यदि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित न हो ।

16. कर का संदाय और विवरणियां.—(1) अधिनियम के अधीन संदेय कर, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में ऐसे अन्तरालों पर, जो विहित किए जाएं, संदत्त किया जाएगा ।

(2) राज्य सरकार, लोक हित में और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी वह उचित समझे, व्यौहारियों के किसी वर्ग से, इस अधिनियम के अधीन किसी अवधि के लिए संदेय कर की रकम के बदले में, प्रशमन के रूप में, ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए अवधारित और संदत्त की जाने वाली एक मुश्त राशि स्वीकार कर सकेगी या एकमुश्त रकम को कराधेय आवर्त पर नियत दर पर संगणित किया जा सकेगा, जैसी ऐसे वर्ग के व्यौहारियों की बाबत विहित की जा सकेगी और इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण, लेखों के अनुरक्षण, विवरणियों को दाखिल करने की सरलीकरण पद्धति भी विहित की जा सकेगी जो ऐसे शमन की अवधि के दौरान प्रवृत्त रहेगी ।

(3) ऐसे व्यौहारी, जिनसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, विहित रीति में तामिल किए गए नोटिस द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ऐसी विवरणियां, ऐसी तारीख तक और ऐसे प्राधिकारी को देगा, जो विहित किया जाए ।

(4) इससे पूर्व कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित विवरणियां दे, वह ऐसी विवरणियों के अनुसार अधिनियम के अधीन उस से देय कर की पूर्ण रकम किसी सरकारी खजाने में या अनुसूचित बैंक में जो खजाना बैंक (ट्रेजरी बैंक) है अथवा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के आबकारी एवं कराधान अधिकारी के कार्यालय में, विहित रीति में, संदत्त करेगा और विवरणियों के साथ, ऐसी रकम के संदाय को दर्शित करने वाली ऐसे खजाने, बैंक या सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अथवा जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी से प्राप्त रसीद देगा:

परन्तु ऐसी रकम का कोई संदाय, निर्धारण अधिकारी के पक्ष में स्थानीय अनुसूचित बैंक में संदेय क्रास चैक या बैंक ड्राफ्ट के सिवाए, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के कार्यालय में स्वीकृत नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जब व्यौहारी खजाना बैंक (ट्रेजरी बैंक) से भिन्न अनुसूचित बैंक के माध्यम से संदाय करता है तो वह ऐसे बैंक से प्रमाण पत्र, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा कि बैंक ने व्यौहारी के निदेशों पर कर की रकम खजाना (ट्रेजरी) बैंक को विप्रेषित कर दी है और निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा प्रमाण पत्र पेश करने पर व्यौहारी द्वारा उस तारीख को, जिस दिन ऐसे बैंक द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, कर संदत्त किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित बैंक के माध्यम से संदाय की दशा में, जो खजाना बैंक (ट्रेजरी बैंक) से भिन्न अन्य स्थान पर स्थित है, व्यौहारी को पूर्ववर्ती परन्तुक में यथावर्णित सम्बद्ध बैंक से, उपधारा (2) के अधीन विवरणियां दाखिल करने के लिए विहित देय तारीख के अवसान से कम से कम तीन दिन पूर्व उपाप्त करनी होगी और केवल इसी दशा में यह समझा जाएगा कि व्यौहारी ने देय तारीख को संदाय कर दिया है :

परन्तु यह और कि जहां क्रास चैक के माध्यम से संदाय किया जाता है, तो ऐसा क्रास चैक सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में, उपधारा (3) के अधीन विवरणी दाखिल करने के लिए विहित सम्यक् तारीख के अवसान से कम से कम दस पूर्ण दिन पूर्व, परिदत्त किया जाना चाहिए और व्यौहारी द्वारा उस तारीख को, जिस दिन क्रास चैक इसके बैंक में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात सरकारी लेखे में वास्तव में जमा किया जाता है और बैंक द्वारा व्यौहारी के पक्ष में आवश्यक रसीद जारी की जाती है, संदाय किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां क्रास चैक के माध्यम से संदाय किया जाता है और चैक अनादृत होता है, वहां व्यौहारी द्वारा संदाय नहीं किया हुआ समझा जाएगा और किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए दायी होगा जो इस अधिनियम या तदधीन विरचित नियमों के अधीन संदाय न करने के लिए की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण:—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक अभिप्रेत है ।

(5) यदि किसी व्यौहारी को उस द्वारा दी गई किसी विवरणी में किसी लोप या अन्य गलती का पता चलता है तो वह, उस द्वारा आगामी विवरणी देने के लिए विहित तारीख से पूर्व, किसी भी समय, संशोधित विवरणी दे सकेगा और यदि संशोधित विवरणी में दर्शित देय कर की रकम, मूल विवरणी में दर्शाई गई रकम से अधिक है, तो उसके साथ, उपधारा (4) में, अतिरिक्त रकम के संदाय को दर्शित करने वाली रसीद जो विहित की जा सकेगी, भी होगी ।

(6) यदि कोई व्यौहारी उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित विहित की गई तारीख तक बिना किसी पर्याप्त हेतुक के विवरणी तैयार करने में असफल रहता है तो व्यौहारी शास्ति स्वरूप विवरणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए पच्चीस रूपए प्रति दिन कि बराबर की राशि दस दिन तक के लिए संदत्त करने के लिए दायी होगा और उसके पश्चात व्यतिक्रम जारी रहने तक शास्ति पचास रूपए प्रतिदिन के हिसाब से होगी किन्तु ऐसी शास्ति तीन हजार रूपए से अधिक नहीं होगी, परन्तु जहां कोई कर संदेय नहीं है, ऐसी शास्ति प्रत्येक विवरणी के लिए पांच सौ रूपए से अधिक नहीं होगी ।

(7) यदि व्यौहारी पर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (4) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, शास्ति के रूप में, ऐसी राशि, जो दस प्रतिशत से कम नहीं होगी, किन्तु जो, कर की रकम जिसके लिए उसका निर्धारण किया जाता है या जिसके निर्धारण के लिए दायी है, के अतिरिक्त कर की रकम जिसके लिए उसका निर्धारण किया जाता है या धारा 21 के अधीन निर्धारित किए जाने के लिए दायी है, से डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी, संदत्त करने का उसे निदेश दे सकेगा ।

(8) यदि किसी व्यौहारी ने अपने विक्रयों, कयों या माल के स्टॉक को छिपाने के विचार से मिथ्या या अशुद्ध लेखे बनाए रखे हैं अथवा अपने विक्रयों या क्रयों की किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया है या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी को कोई ऐसा लेखा, विवरणी अथवा सूचना दी गई है, जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या या अशुद्ध है, तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यौहारी को, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस कर के अतिरिक्त जिसके लिए उसका निर्धारण किया जाता है या निर्धारित किए जाने के लिए दायी है, शास्ति के रूप में, ऐसी रकम जो पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी किन्तु जो कर की रकम के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्धारण किया जाता है, संदत्त करने का निदेश दे सकेगा ।

17. संकर्म ठेकेदारों इत्यादि के बिलों या बीजकों से कर की कटौती.—(1) धारा 20 में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी निम्नलिखित के लिए संदेय मूल्यवान प्रतिफल के कारण कोई संदाय या किसी दायित्व का उन्मोचन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति—

- (क) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में सम्पत्ति अन्तरण के लिए, चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में, और
- (ख) माल में सम्पत्ति के अन्तरण के लिए भारत सरकार या किसी राज्य सरकार को ऐसे माल के विक्रय के मद्दे,

संकर्म ठेकेदार द्वारा या ऐसे माल के विक्रेता व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत किए बिलों या बीजकों में से व्यक्ति द्वारा यथा संदेय, चार प्रतिशत से अनधिक रकम, जो विहित की जाए, जिसका ऐसे विक्रयों पर संदेय कर का भाग या पूर्ण होना तात्पर्यित है, की कटौती करेगा:

परन्तु माल में किसी सम्पत्ति के अन्तरण की बाबत ऐसी किसी रकम की कोई कटौती नहीं की जाएगी जिसका आवर्त, धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन, व्यौहारियों के सकल आवर्त से कटौती योग्य हो :

परन्तु संकर्म ठेकेदार या ऐसे माल का विक्रय करने वाले व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी बिल का कोई संदाय या उन्मोचन कटौतियों के बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि राज्य के राजस्व के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह ऐसे व्यक्तियों के नामों/पदों को अधिसूचित कर सकेगी जो ऐसी कटौती करने के लिए समक्ष व्यक्ति होंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती ऐसी रीति में की जाएगी जैसी विहित की जाए और सरकारी खजाने में ऐसी कटौतियों का संदाय करना ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा ।

(3) ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति या व्यौहारी को विहित रीति में कटौती प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसके बिल या बीजक में से ऐसी कटौती की गई है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या (2) या (3) के किसी या सभी उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो विहित प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित रूप में, आदेश द्वारा, यह निदेश करेगा कि ऐसी उपधारा (1) के अधीन कटौती योग्य कर रकम के दुगुने से अनधिक राशि शास्ति के रूप में संदत्त करेगा ।

(5) किसी व्यौहारी से देय कर की किसी रकम की वसूली के लिए धारा 25 और 27 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, काटे गए कर की किसी रकम की वसूली और/या अधिरोपित, किन्तु इस धारा के अधीन जमा न की गई, किसी शास्ति के लिए लागू होंगे ।

19. ब्याज का संदाय.—(1) यदि कोई व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन उससे देय कर की रकम, उपधारा (2) में उल्लिखित परिमाण तक के सिवाए, संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह, कर की रकम के अतिरिक्त अन्तिम तारीख के ठीक पश्चात्पूर्वी तारीख से, जिसको या तो व्यौहारी द्वारा विवरणी दाखिल की जानी चाहिए थी अथवा इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त किया होता, उस द्वारा देय और संदेय कर की रकम पर प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रति मास की दर से जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा ।

(2) यदि किसी व्यौहारी से देय कर या शास्ति की रकम उस द्वारा, मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या यदि कोई अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो तो ऐसे नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो व्यौहारी, कर या शास्ति की रकम के अतिरिक्त ऐसी रकम पर, यथास्थिति, उस तारीख से जिसको नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि या तीस दिन की अवधि का अवसान होता है, के ठीक पश्चात्पूर्वी तारीख से एक मास की अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से और तत्पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा:

परन्तु जहां किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा किसी कर या शास्ति की वसूली रोक दी जाती है, तो कर या शास्ति की रकम, रोक के आदेश को रद्द करने के पश्चात्, उस रकम पर, जो अंततः देय पाई जाती है, पूर्वोक्त दर पर ब्याज सहित, वसूलीय होगी और ऐसा ब्याज उस तारीख से संदेय होगा जिस को कर या शास्ति प्रथमतः देय बनती है ।

(3) इस धारा के अधीन संदेय ब्याज की रकम—

(i) संग्रहण और वसूली के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के अधीन कर समझी जाएगी;

(ii) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी ।

20. कतिपय मामलों में कर संग्रहण के विरुद्ध प्रतिषेध.—(1) कोई भी व्यक्ति किसी माल के विक्रय या क्रय के बारे में, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर संदेय नहीं है, कर के रूप में किसी राशि का संग्रहण नहीं करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है और किसी विक्रय या क्रय के बारे में कर संदत्त करने का दायी है, किसी अन्य व्यक्ति से कर के रूप में किसी माल के विक्रय या क्रय पर कोई राशि संगृहीत नहीं करेगा और कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा संदेय कर की रकम से अधिक कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति या उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यौहारी इन उपबन्धों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो वह, किसी भी कर के अतिरिक्त जिसके लिए वह दायी हो सकेगा, पांच सौ रुपये से

अनधिक रकम की शास्ति या इस प्रकार संगृहित रकम का दोगुणा, जो भी अधिकतर हो, संदत्त करने का दायी होगा ।

(4) यदि आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में या अन्यथा, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन शास्ति संदत्त करने का दायी हो गया है, तो वह ऐसे व्यक्ति पर विहित प्ररूप में उससे यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि उस पर उपधारा (3) में यथा उपबन्धित शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाए, नोटिस की तामील करेगा और तदुपरि जांच करेगा और ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझता है ।

21. कर का निर्धारण.—(1) व्यौहारी द्वारा दाखिल की गई विवरणियों को सम्यक् रूप से विहित रीति में अभिस्वीकृत किया जाएगा और जहां किसी भी वर्ष से सम्बन्धित समस्त विवरणियां दाखिल कर दी हैं और तात्विक विशिष्टियों में सही और पूर्ण है तो व्यौहारी, उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्वधीन, उस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु जहां विवरणियां तात्विक विशिष्टियों में पूर्ण नहीं हैं तो व्यौहारी को नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर उन्हें पूर्ण करने का अवसर दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए विवरणी—

- (i) तभी सही समझी जाएगी यदि इसका संस्करण (वर्शन) व्यौहारी द्वारा अनुरक्षित लेखों के अनुरूप है और लेखा संस्करण (अकाउन्ट वर्शन) आगामी वर्ष के 31 अक्टूबर तक अभिलेख पर उपलब्ध किसी प्रतिकूल सूचना द्वारा अधिक्षिप्त नहीं किया जा सकता है; और
- (ii) तात्विक विशिष्टियों में, तभी पूर्ण समझी जाएगी यदि इसमें प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित समस्त सूचना, अंकगणितीय रूप में सही है और वैधानिक या विहित सूचियां, दस्तावेज तथा विवरणियों के अनुसार देय कर की पूर्ण रकम के संदाय का सबूत इनके साथ संलग्न है और व्यौहारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित है ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यौहारियों द्वारा दाखिल विवरणियों की संवीक्षा हेतु मामलों के चयन की रीति विहित कर सकेगी और निर्धारण प्राधिकारी, प्रत्येक चयनित मामले की बाबत, व्यौहारी पर विहित रीति में नोटिस की तामील करेगी जिसमें, उससे विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर या तो व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने या ऐसे किसी साक्ष्य, जिस पर ऐसा व्यौहारी उपधारा (1) के अधीन उस द्वारा दाखिल विवरणियों के समर्थन में निर्भर रह सकेगा, पेश करने या पेश करवाने की अपेक्षा की जाएगी और व्यौहारी की सुनवाई करने तथा उस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य (सबूत) पर विचार करने के पश्चात्, उससे देय कर की रकम, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा ।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे तो यह किसी व्यौहारी की बाबत, जिसका सकल आवर्त एक वर्ष में ऐसी रकम से अधिक नहीं होता है, जिसे सरकार, किसी भी वर्ष के लिए स्वतः निर्धारण स्कीम, जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जा सकेगा, में विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परन्तु यह कि यदि कोई व्यौहारी, जिसका कराधेय आवर्त स्वतः निर्धारण स्कीम के अधीन निर्धारित किया गया है, कर का अपवंचन करते पाया जाता है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे निर्धारित कर की रकम के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में, राशि जो सौ प्रतिशत से कम नहीं होगी परन्तु जो अपवंचित और निर्धारित पाई गई कर की रकम के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी, संदत्त करने का निदेश देगा ।

(4) निर्धारण प्राधिकारी व्यौहारी को, जो उपधारा (1) के अधीन न आता हो, विहित रीति में नोटिस की तामील करेगा जिसमें, उससे उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर या तो व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने

या ऐसे किसी साक्ष्य, जिस पर ऐसा व्यौहारी अपनी विवरणियों के समर्थन में निर्भर रह सकेगा, को पेश करने या पेश करवाने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे साक्ष्य, जिसे व्यौहारी प्रस्तुत कर सकेगा, और ऐसा अन्य साक्ष्य, जिसकी निर्धारण प्राधिकारी विनिर्दिष्ट प्रश्नों (प्वाइन्ट्स) पर अपेक्षा करे, की सुनवाई करने के पश्चात् व्यौहारी से देय रकम का निर्धारण करेगा ।

(5) यदि कोई व्यौहारी, जिसने किसी अवधि के बारे में विवरणियां दे दी हों, उपधारा (2) या (4) के अधीन जारी किए गए नोटिस के निर्बन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् पांच वर्ष के भीतर, व्यौहारी से देय कर की रकम को अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार, निर्धारित करने के लिए अग्रसर होगा ।

(6) यदि कोई व्यौहारी, किसी अवधि के बारे में विहित तारीख तक विवरणियां नहीं देता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात्, पाँच वर्ष के भीतर, व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अपनी सर्वोत्तम विवेक-बुद्धि के अनुसार, व्यौहारी से देय कर की रकम, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए अग्रसर होगा ।

(7) यदि किसी सूचना पर, जो उसके कब्जे में आई हैं, निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई व्यौहारी किसी अवधि के बारे में इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी है, किन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहा है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् पाँच वर्ष के भीतर, व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी अवधि और पश्चात्वर्ती सभी अवधियों के बारे में व्यौहारी से देय कर की रकम, यदि कोई हो, अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार, निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा और उन मामलों में जहां ऐसा व्यौहारी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में जानबूझ कर असफल रहा है, वहां निर्धारण प्राधिकारी यह निदेश कर सकेगा कि व्यौहारी इस प्रकार निर्धारण रकम के अतिरिक्त ऐसी राशि जो पन्द्रह प्रतिशत से अन्यून होगी, किन्तु जो उस रकम के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी, शास्ति के रूप में संदत्त करेगा ।

(8) इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति या ब्याज की रकम व्यौहारी द्वारा ऐसी तारीख तक, जो उस प्रयोजन के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, संदत्त की जाएगी और इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी और तीस दिन से अधिक नहीं होगी:

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिले के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे संदाय की तारीख को बढ़ा सकेगा किन्तु नब्बे दिन से अधिक नहीं, या पर्याप्त प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के विरुद्ध तीन से अनधिक मासिक किश्तों द्वारा संदाय अनुज्ञात कर सकेगा ।

(9) यदि इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कर या उस की कोई किश्त, किसी व्यौहारी द्वारा, निर्धारण नोटिस या किश्तों में संदाय अनुज्ञात करने वाले आदेश में उस के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यौहारी को, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो उससे देय राशि से अधिक नहीं होगी ।

(10) इस धारा के अधीन किया गया कोई निर्धारण इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

28. प्रतिदाय.—(1) निर्धारण प्राधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यौहारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त कर, ब्याज या शास्ति की किसी रकम का, विहित रीति में, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को, यदि इस प्रकार संदत्त कर, शास्ति या ब्याज की रकम, इस अधिनियम के अधीन उससे देय रकम से अधिक है, या तो प्रतिदाय बाउचर द्वारा या व्यौहारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के विकल्प पर, किसी अन्य अवधि के बारे में इस प्रकार संदत्त रकम का उससे देय रकम से समायोजन द्वारा, प्रतिदाय करेगा :

“परन्तु यह कि धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन आगत प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की किसी अतिरिक्त रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन वर्ष की एक तिमाही के अवसान के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा किया जा सकेगा और जहां निर्धारण प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि कर अवधि की विवरणियां सही और पूर्ण हैं, तो वह विहित रीति में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) को अतिरिक्त रकम का प्रतिदाय करेगा या आगामी कर अवधि के लिए उसका अग्रनयन अनुज्ञात करेगा :

परन्तु यह और कि जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के विरुद्ध कोई अन्वेषण, संवीक्षा, निरीक्षण या लेखा परीक्षा या अन्य कोई जाँच लम्बित है और प्रतिदाय मंजूर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि ऐसे प्रतिदाय के संदाय से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो ऐसे अन्वेषण, संवीक्षा, निरीक्षण या लेखा परीक्षा या अन्य जांच की समाप्ति पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से देय हो सकेगा, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को प्रतिदत्त की जाने वाली रकम के बराबर प्रतिभूति प्रस्तुत किए जाने के अध्यक्षीन या तो अतिरिक्त आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम का प्रतिदाय कर सकेगा या प्रतिदाय को कार्यवाहियों की समाप्ति तक रोक सकेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिदाय तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिदाय हेतु दावा, उस तारीख से जिस को ऐसा दावा प्रोद्भूत होता है, तीन वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन जारी ऐसे प्रतिदाय की मंजूरी वाले आदेश के आधार पर कोई रकम जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को प्रतिदत्त की जानी अपेक्षित है, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उसको प्रतिदत्त नहीं की जाती है तो व्यौहारी उक्त एक मास के अवसान की तारीख के ठीक पश्चात्पूर्वी तारीख से ऐसी रकम पर प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से और तत्पश्चात् प्रतिदाय किए जाने तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) उपधारा (1) या (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण प्राधिकारी, ऐसे समायोजन की तारीख को व्यौहारी से देय या किसी रकम की वसूली के लिए पहले प्रतिदत्त की जाने वाली रकम को समायोजित करेगा, और तत्पश्चात् बाकी, यदि कोई हो, प्रतिदत्त करेगा ।

(4) यदि पूर्वोक्त नब्बे दिन की अवधि के भीतर प्रतिदाय अनुज्ञात किए जाने में विलम्ब निर्धारण प्राधिकारी के नियन्त्रण से परे के कारणों से है या व्यौहारी को, चाहे पूर्णतः या भागतः अरोप्य है, तो ऐसी देरी की अवधि उस अवधि से अपवर्जित की जाएगी जिसके लिए ब्याज संदेय है ।

(5) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई अवधि उपधारा (4) के अधीन ब्याज की संगणना के प्रयोजनार्थ अपवर्जित की जानी है, तो इसे आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे, निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) जहां प्रतिदाय अनुज्ञात करने वाला आदेश किसी अपील या अतिरिक्त कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य कार्यवाहियां लम्बित हैं और निर्धारण प्राधिकारी की यह राय है कि प्रतिदाय से वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वहां निर्धारण प्राधिकारी प्रतिदाय को रोक सकेगा और मामला आयुक्त को निर्दिष्ट करेगा जिसका आदेश अन्तिम होगा ।

(7) वह अवधि जिसके दौरान उपधारा (6) के अधीन प्रतिदाय, विधारित रहता है, इस धारा के अधीन ब्याज की संगणना के प्रयोजनार्थ अपवर्जित की जाएगी ।

30. कर बीजक, परचून बीजक इत्यादि.—(1) कर बीजक में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी इस धारा में विनिर्दिष्ट है और इसे एक रजिस्ट्रकृत व्यौहारी द्वारा दूसरे व्यौहारी (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या न हो) को जारी किया जाएगा जिसके आधार पर क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा करने का हकदार होगा ।

(2) किसी अन्य व्यौहारी, को (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या न हो) को कराधेय विक्रय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ऐसे क्रेता व्यौहारी को विक्रय करते समय उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट कर बीजक जारी करेगा और उसकी एक प्रति रखेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा कर बीजक जारी नहीं किया जाएगा, जब विक्रय—

- (क) इस अधिनियम की उपधारा 7 के अधीन उप-धारणात्मक कर या धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन एक मुश्त राशि संदत्त करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा है;
- (ख) इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल का है ;
- (ग) अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में है; या
- (घ) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय है ।

(4) प्रत्येक कराधेय विक्रय के लिए केवल एक बीजक जारी किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन जारी कर बीजक में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

- (क) शीर्ष पर या अन्य प्रमुख स्थान पर, बड़े अक्षरों में शब्द 'कर बीजक' ;
- (ख) विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की संख्या;
- (ग) क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की संख्या;
- (घ) क्रय संख्या और तारीख जिस को कर बीजक जारी किया गया है ;
- (ङ) विक्रीत माल का विवरण, मात्रा, घनत्व और मूल्य तथा अन्तर्वर्तित कर की पृथक्त्तः दिखाई गई रकम ;
- (च) विक्रेता व्यौहारी या उसके सेवक, प्रबन्धक या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर; और
- (छ) मुद्रक का नाम और पता ।

(6) जहां कर बीजक उपधारा (2) के अधीन जारी करना अपेक्षित है, के सिवाए प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जो दो सौ रुपये से अधिक के किसी माल का किसी एक संव्यवहार में, किसी व्यक्ति को, विक्रय करता है, तो वह क्रेता को उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट एक फुटकर बीजक जारी करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा ।

(7) फुटकर बीजक में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

- (क) शीर्ष पर या प्रमुख स्थान पर बड़े अक्षरों में शब्द 'फुटकर बीजक' या 'केश मेमों' या 'बिल';
- (ख) विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की संख्या;

- (ग) यदि विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य या भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में है तो, क्रेता व्यौहारी/विदेशी क्रेता का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि कोई है और कानूनी प्ररूप, का प्रकार, यदि कोई हो, जिसके विरुद्ध विक्रय किया गया है ;
- (घ) क्रम संख्या और तारीख जिस पर फुटकर बीजक जारी किया गया है ;
- (ङ) विक्रीत माल का विवरण, मात्रा, घनत्व और मूल्य, अन्तर्वलित कर की रकम, यदि कोई है ;
- (च) विक्रेता व्यौहारी या उसके सेवक, प्रबन्धक या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर; और
- (छ) मुद्रक का नाम और पता ।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी निर्धारण प्राधिकारी को, मुद्रित करवाए गए और उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष के दौरान उपयोग के लिए रखे गए कर बीजकों और फुटकर बीजकों की कुल संख्या को लिखित में सूचित करेगा ।

(9) कर बीजक की तीन प्रतियां जारी की जाएंगी और यथास्थिति, दूसरी प्रति सहित मूल प्रति क्रेता या माल का परिदान लेने वाले व्यक्ति को दी जाएगी और तीसरी प्रति विक्रेता व्यौहारी द्वारा रखी जाएगी ।

(10) फुटकर बीजक की दो प्रतियां जारी की जाएंगी और मूल प्रति क्रेता को दी जाएगी तथा दूसरी प्रति विक्रेता व्यौहारी द्वारा रखी जाएगी ।

(11) जहां कर बीजक या फुटकर बीजक जारी करने अपेक्षित नहीं है, तो प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ऐसा अन्य बीजक जैसा विहित किया जाए, जारी करेगा ।

(12) प्रत्येक व्यौहारी कर बीजकों और फुटकर बीजकों सहित लेखा बहियों वर्ष के अन्त, जिससे वे सम्बन्धित हैं, के पश्चात् पांच वर्ष के अवसान तक या ऐसी अन्य अवधि के लिए जैसी विहित की जाए या जब तक निर्धारण अपनी अन्तिमता प्राप्त नहीं कर लेता है, जो भी बाद में हो, अनुरक्षित रखेगा ।

(13) जहां कोई व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही में पक्षकार हैं तो वह ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की विषयवस्तु से सम्बन्धित प्रत्येक अभिलेख और लेखे तब तक रखे-रखेगा जब तक इसका अन्तिम निपटान नहीं हो जाता है ।

(14) प्रत्येक व्यौहारी, जो अभिलेख को इलैक्ट्रॉनिकली अनुरक्षित रखता है, ऐसे समस्त अभिलेख का दिन प्रतिदिन का प्रिंट-आउट भी अनुरक्षित रखेगा और वह उन्हें, यथास्थिति, उपधारा (12) या उपधारा (13) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रखेगा ।

(15) राज्य सरकार, लोक हित में, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों के किसी वर्ग को उपधारा (2) से (14) अन्तर्विष्ट उपबन्धों से छूट दे सकती है ।

(16) जहां कोई व्यौहारी उपधारा (2) से (14) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो आयुक्त या धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए पांच हजार रूपए तक की हो सकेगी ।

33. सर्वेक्षण की शक्ति.—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई आबकारी एवं कराधान निरीक्षक, इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए कर के संदाय के दायित्व के आरम्भ के अभिनिश्चय सम्बन्धी सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए —

- (क) उसको समनुदेशित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी स्थान, या
- (ख) किसी व्यौहारी के अधिभोग वाले किसी स्थान, जिसके बारे में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है,

में प्रवेश कर सकेगा जिसमें कारबार करने वाला व्यौहारी अपनी कोई लेखा बहियों या अन्य दस्तावेज अथवा माल के विक्रय या क्रय से सम्बन्धित अपनी नकदी का कोई भाग या अपने कारबार से सम्बन्धित माल का स्टॉक रखता है और किसी व्यौहारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति, जो उस समय और स्थान पर किसी भी रीति में ऐसा व्यापार चलाए जाने में हाजिर होता है या सहायता करता है, से अपेक्षा कर सकेगा —

- (i) कि वह ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने में उसको आवश्यक सुविधाएं दे, जैसी वह अपेक्षा करे, और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों ;
- (ii) कि वह नकद और माल का स्टॉक जो वहां पाया जाए कि जांच पड़ताल या सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधाएं दे; और
- (iii) कि वह ऐसे कथन सहित ऐसी सूचना दे जिसकी वह, किसी विषय के बारे, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या उनसे सुसंगत हो, अपेक्षा करे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए किसी निवास गृह में कोई प्रवेश—

- (i) सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व ;
- (ii) आबकारी एवं कराधान अधिकारी से नीचे की पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा ; और
- (iii) जिला दंडाधिकारी कि मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना, जिसके अधिकारिता में ऐसा गृह स्थित है, नहीं की जाएगा ।

34. चैक पोस्टों या बैरियरों की स्थापना और अभिवहन में माल का निरीक्षण.—(1) यदि, इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन को निवारित करने या उसकी जांच पड़ताल करने की दृष्टि से, राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, वह अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे स्थान या स्थानों पर, जो अधिसूचित किए जाएं, चैक पोस्ट की स्थापना या किसी बैरियर के परिनिर्माण अथवा दोनों के लिए निदेश दे सकेगी ।

(2) माल गाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, यथास्थिति, माल गाड़ी अभिलेख, यात्रा पत्र, या लॉग बुक और कारबार के प्रयोजन के लिए ऐसे माल के बारे में जो, यथास्थिति, माल गाड़ी या जलयान में ले जाया जा रहा है, विक्रय बिल या ऐसी विशिष्टियों से युक्त परिदान नोट, जैसा विहित किया जाए, अपने साथ रखेगा और उसे चैक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी अथवा किसी स्थान पर, यान या जलयान की जांच करने वाले, किसी अन्य अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(3) जब उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, जो प्रत्येक चैक पोस्ट या बैरियर अथवा किसी अन्य स्थान पर, मालगाड़ी या जलयान का चालक या कोई अन्य भारसाधक व्यक्ति, यथास्थिति, यान या जलयान को रोकेंगे और इसे उतनी देर तक, जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो खड़ा रखेगा और चैक पोस्ट या बैरियर के भार साधक अधिकारी या पूर्वोक्त अधिकारी को यान या जलयान में रखी अन्तर्वस्तु का पैकेज या पैकेजों को खोल कर, यदि आवश्यक हो, परीक्षण करना अनुज्ञात करेगा और वहन किए गए माल से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करेगा जो चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति के कब्जे में हों, वह ऐसी अन्य सूचना भी देगा जैसी उपर्युक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और यदि आवश्यक समझा जाए तो ऐसा अधिकारी मालगाड़ी या जलयान और माल के या यान के या जलयान के चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति की तलाशी भी ले सकेगा ।

(4) राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाली या राज्य की सीमाओं से बाहर निकलने वाली मालगाड़ी या जलयान या स्वामी या भारसाधक व्यक्ति चैक पोस्ट या बैरियर के भारसाधक अधिकारी के समक्ष तीन प्रतियों में एक घोषणा (इलैक्ट्रॉनिकली तैयार की गई अन्यथा) भी देगा, जिसमें, यथास्थिति, ऐसे यान या जलयान में ले जाए जा रहे माल की ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं, और उक्त अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित और उसे लौटाई गई उक्त घोषणा की प्रति उसे या इस धारा के अधीन जांच पड़ताल के समय उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा:

परन्तु जहां राज्य से बाहर किसी स्थान को जाने वाली माल गाड़ी या जलयान राज्य में से होकर गुजरता है, वहां ऐसी मालगाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, राज्य में अपने प्रवेश की, चैक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी को, विहित प्ररूप में, एक घोषणा दो प्रतियों में देगा और उससे सम्यक् रूप से सत्यापित एक प्रति अभिप्राप्त करेगा । यथास्थिति, मालगाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति राज्य से बाहर अपने निकासी के स्थल पर उक्त प्रति, चैक पोस्ट या बैरियर के भारसाधक अधिकारी को बहत्तर घंटों के भीतर परिदत्त करेगा, ऐसा न करने पर वह प्रवेश के चैक पोस्ट या बैरियर के भारसाधक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शास्ति, जो माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, किन्तु जो माल के मूल्य से पन्द्रह प्रतिशत कम नहीं होगी, संदत्त करने या दायी होगा :

परन्तु यह और कि कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है ।

(5) किसी रेल सीमान्त या डाकघर से भिन्न, माल परिवहन के प्रत्येक स्टेशन, बस-अड्डे या माल चढ़ाने या उतारने के किसी अन्य स्टेशन या स्थान पर, जब आयुक्त द्वारा या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा जब ऐसी अपेक्षा की जाए तब मालगाड़ी का चालक या स्वामी या परिवहन कम्पनी अथवा माल बुकिंग अभिकरण का कर्मचारी, उस द्वारा विहित रीति में रखी गई और वहन, परिवहन किए गए, चढ़ाए गए, उतारे गए, पारेषित या परिवहन के लिए प्राप्त माल से सम्बद्ध परिवहन की रसीदें और अन्य सभी दस्तावेज तथा लेखा बहियों (जो उस द्वारा विहित रीति में रखी गई हैं) परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा । आयुक्त या इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को ऐसी परिवहन रसीदें या अन्य दस्तावेज अथवा लेखा बहियां, वहन किए गए, परिवहन किए गए, चढ़ाए, उतारे गए, उतारे गए, या पारेषित या परिवहन के लिए प्राप्त माल के बारे में परीक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसे माल के किसी पैकेज या किन्हीं पैकेजों को तोड़ने की शक्ति प्राप्त होगी ।

(6) यदि चैक पोस्ट या बैरियर के भारसाधक अधिकारी या उपधारा (2) में वर्णित अन्य अधिकारी के पास यह सन्देह करने के कारण हो कि परिवहन के अधीन माल कारोबार के लिए हैं और, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (4) में यथावर्णित समुचित और वास्तविक दस्तावेजों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, या माल वहन करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह कारण अभिलिखित करते हुए और उक्त व्यक्ति को सुनने के पश्चात् परन्तु बैरियर के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्वधीन ऐसी अवधि के लिए जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, माल को उतारने और निरुद्ध रखने का आदेश कर सकेगा और कर की रकम सुनिश्चित करने के लिए, माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा माल के स्वामी की ओर से यान या जलयान के चालक अथवा अन्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा, ऐसी रकम के लिए जो माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो किन्तु जो माल के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के मूल्य के कम नहीं होगी, विहित प्ररूप और रीति में, प्रतिभूति सहित या रहित, उसकी तुष्टि की प्रतिभूति देने या बन्ध पत्र निष्पादित करने पर ही उसे वहन करना अनुज्ञात करेगा :

परन्तु जहां किसी माल को निरुद्ध किया जाता है, वहां माल निरुद्ध करने वाला अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, जिला के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला या बैरियर के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को तुरन्त या किसी भी दशा में माल निरुद्ध करने के चौबीस घण्टे के भीतर, रिपोर्ट की जाएगी, जब कभी माल को चौबीस घण्टे से अधिक की किसी अवधि के लिए निरुद्ध करना अपेक्षित हो तो इसके पश्चात् कथित की अनुज्ञा मांगी जाएगी और यदि पश्चात् कथित से कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो पहला यह धारणा कर सकेगा कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ।

(7) माल निरुद्ध करने वाला अधिकारी माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा चालक या माल गाड़ी अथवा जलयान के अन्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन को, यदि कोई हो, अभिलिखित करेगा और उससे, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (4) में यथानिर्दिष्ट समुचित और वास्तविक दस्तावेज विनिर्दिष्ट तारीख को अपने समक्ष, अपने कार्यालय में प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, जिस तारीख को अधिकारी सम्बद्ध अभिलेखों सहित कार्यवाही को ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकार द्वारा विषय में आवश्यक जांच संचालित करने के लिए उस निमित्त प्राधिकृत किया जाए प्रस्तुत करेगा, उक्त अधिकारी जांच संचालित करने से पूर्व, माल के स्वामी पर एक नोटिस तामील करेगा और उसे सुनवाई का अवसर देगा और यदि, जांच के पश्चात् ऐसे अधिकारी का यह निष्कर्ष हो कि इस अधिनियम के अधीन देय कर का अपवंचन करने का प्रयत्न किया गया है तो वह, आदेश द्वारा, माल के स्वामी पर माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक किन्तु जो माल के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी, शास्ति अधिरोपित करेगा और उस दशा में जब उसका निष्कर्ष अन्यथा हो माल को छोड़ देने का आदेश देगा ।

(8) यदि माल का स्वामी या उसका प्रतिनिधि या माल गाड़ी या जलयान का चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति, माल या मालगाड़ी या जलयान को निरुद्ध करने की तारीख से दस दिन के भीतर उपधारा (6) द्वारा यथा अपेक्षित प्रतिभूति नहीं देता है या बन्धपत्र निष्पादित नहीं करता है, तो उस उपधारा में निर्दिष्ट अधिकारी माल को और आगे के लिए निरुद्ध करने का आदेश कर सकेगा और शास्ति अधिरोपित करने के आदेश की तारीख से बीस दिन के भीतर उपधारा (7) के अधीन अधिरोपित शास्ति संदत्त न करने की दशा में निरुद्ध माल उस अधिकारी जिसने शास्ति अधिरोपित की है, विहित रीति में सार्वजनिक नीलामी द्वारा, शास्ति की वसूली के लिए, विक्रय किए जाने के लिए दायी होगा । यदि निरुद्ध माल नाशवान प्रकृति का है या शीघ्रता और प्रकृत्या क्षयशील है अथवा जब ऐसा सम्भाव्य है कि उसे अभिरक्षा में रखने का खर्च उसके मूल्य से अधिक होगा, तब, यथास्थिति, चैक पोस्ट या बैरियर का भार साधक अधिकारी या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी, ऐसे माल को तुरन्त बेच देगा या उसका अन्यथा व्ययन करेगा । विक्रय आगम को सरकारी खजाना में जमा किया जाएगा और माल का स्वामी, माल का निरुद्ध करने और व्ययन करने में उपगत खर्च और अन्य आनुषंगिक प्रभारों में कटौती करने के पश्चात् केवल आगम की अतिशेष रकम का हकदार होगा ।

(9) माल—निरुद्ध करने वाला अधिकारी, माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा मालगाड़ी या जलयान के चालक या भारसाधक व्यक्ति को इस प्रकार निरुद्ध किए गए माल का विवरण और परिमाण विनिर्दिष्ट करते हुए रसीद जारी करेगा और ऐसे व्यक्ति से अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेगा या यदि ऐसा व्यक्ति अभिस्वीकृति देने से इन्कार करता है, तो दो साक्षियों की उपस्थिति में इन्कार करने का तथ्य अभिलिखित करेगा ।

(10) यदि इसी बीच उपधारा (6) के अधीन माल निरुद्ध करने या उपधारा (7) या उपधारा (8) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का आदेश अपील में या अन्य कार्यवाहियों में अपास्त या उपान्तरित कर दिया जाता है, तो, यथास्थिति, माल निरुद्ध करने वाला या शास्ति अधिरोपित करने वाला अधिकारी, यथास्थिति, ऐसी अपील में या अन्य कार्यवाहियों में किए गए आदेशों को प्रभावशील बनाने के लिए परिणामिक आदेश भी पारित करेगा ।

(11) कोई व्यौहारी या कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत किसी व्यौहारी की ओर से कार्य करने वाला माल वाहक या परिवहन कम्पनी या बुकिंग अभिकरण का अभिकर्ता है, किसी जलयान, स्टेशन, विमान पतन या किसी अन्य स्थान से, चाहे समरूप प्रकृति का हो या अन्यथा, निजी सामान या निजी उपयोग के लिए माल से भिन्न, माल के किसी परेषण जिनका विक्रय या क्रय इस अधिनियम के अधीन कराधेय है, सिवाए ऐसी शर्तों के अनुसार जो यह सुनिश्चित करने के लिए विहित की जाएं कि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर का कोई अपवंचन नहीं किया है, परिदान नहीं लेगा या परिवहन नहीं करेगा :

परन्तु कोई भी स्थान, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जाएगा, जो रेल सीमान्त या डाकघर है ।

स्पष्टीकरण I.—इस धारा में पद “माल गाड़ी” का वही अर्थ होगा जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 2 के खण्ड (14) में इसका है ।

स्पष्टीकरण II.—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए निजी उपयोग के प्रयोजनों के लिए माल का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि यह कारवार के प्रयोजनार्थ है ।

स्पष्टीकरण III.—उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए स्वामी के प्रतिनिधि या माल गाड़ी या जलयान के चालक अथवा अन्य भारसाधक व्यक्ति पर नोटिस की तामील माल के स्वामी पर विधिमान्य तामील समझी जाएगी ।

44. अधिकरण.—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना करेगी जो अध्यक्ष और उतने सदस्यों से मिल कर बनेगा, जितने राज्य सरकार समय-समय पर अधिकरण को, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन, प्रदत्त कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए ठीक समझे ।

(2) अध्यक्ष और सदस्य ऐसी अर्हता रखेंगे, जैसी विहित की जाएं, और उनके पद के निबन्धन ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं ।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि साधारणतया चार वर्ष की होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा, ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसी वह उचित समझे, किन्तु किसी भी दशा में 62 वर्ष की आयु से परे नहीं ।

(4) अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसी विहित की जाएं ।

(5) अधिकरण के समक्ष लाए गए समस्त मामले पीठ द्वारा बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे और किसी मामले में, जहां अध्यक्ष और सदस्यों का किसी विषय बिन्दु या विषय बिन्दुओं पर उनकी राय में मतभेद है, तो वे उस विषय बिन्दु या विषय बिन्दुओं, जिन पर उनमें मतभेद है, का कथन करेगा और मामले को निम्नलिखित से गठित पीठ द्वारा सुनवाई के लिए निर्दिष्ट करेगा, —

- (i) अध्यक्ष और सदस्य जिन्होंने इसकी पहले सुनवाई की है ; और
- (ii) कोई अतिरिक्त सहयोजित सदस्य जो सेवा कर रहा है और उपधारा (2) के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित है,

और ऐसा मामला पीठ के सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा :

परन्तु अतिरिक्त सदस्य मामले में निपटान पर पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा ।

(6) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जैसे विहित की जाएं, अधिकरण खर्चा अधिनिर्णीत कर सकेगा और ऐसे खर्च की रकम, जो देय तारीख के पश्चात् असंदत्त रह जाती है, उसका संदाय करने के लिए आदेशित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली होगी ।

(7) अधिकरण की मोहर और इसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी राज्य सरकार विहित करे ।

(8) राज्य सरकार, अधिकरण की सहायता करने के लिए ऐसे अधिकारी और पदधारी नियुक्त कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन, इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित हों :

परन्तु अधिकरण के समक्ष राज्य के मामलों का प्रतिनिधित्व ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त (विधि) की पंक्ति से नीचे का न हो ।

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX
(AMENDMENT) BILL, 2009**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows: —

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2009.

2. Amendment of section.—In section 7 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the ‘principal Act’), for second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that no registered dealer, except a brick-kiln owner, who imports goods for sale or use in manufacturing or processing any goods for sale, shall be entitled to make payment of presumptive tax under this section.”.

3. Amendment of section 10.—In section 10 of the principle Act, for the words “thirty days”, the words “ten days” shall be substituted.

4. Amendment of section 11.—In section 11 of the principal Act—

- (a) in sub-section (4), in clause (b), after the word “otherwise”, the word “than” shall be inserted.;
- (b) in sub-section (5), the existing proviso shall be omitted.; and
- (c) after sub-section (15), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(16) If a dealer falsely claims input-tax credit in his return or avails input tax credit to which he is not entitled or claims in his return input tax credit in respect of the amount of tax which has not been or was not actually paid, the Commissioner or the Assessing Authority shall direct such dealer to pay, by way of penalty, in addition to the tax and interest payable by him, a sum equal to twice the amount of such claim or credit.”.

5. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(7). If any person knowingly uses a false registration number or uses a registration number of another person with a view to evade tax under this Act, the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3

may, after affording such person or the dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, in addition to the tax to which he is assessed or is liable to be assessed, an amount equal to the amount of tax evaded or attempted to be evaded.”.

6. Amendment of section 15.—In section 15 of the principal Act, after sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the security shall not be less than ten thousand rupees but not exceeding the estimated tax liability for one year.”.

7. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act—

(a) after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(6-A) If a dealer fails without sufficient cause to furnish annual return by the prescribed date, he shall be liable to pay, by way of penalty, a sum of Rs. 5000/-.”;

(b) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(7) If a dealer fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (4), the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, a sum—

(i) equal to ten percentum, for the delay upto fifteen days,

(ii) equal to twenty five percentum, for the delay exceeding fifteen days but not exceeding thirty days, and

(iii) equal to fifty percentum, for the delay exceeding thirty days,

of the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed under section 21, in addition to the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed.”; and

(c) in sub-section (8), for the words and signs “which shall not be less than twenty-five percentum, but which shall not exceed one and a half times of the amount of tax to which he is assessed”, the words “equal to twice the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed” shall be substituted.

8. Amendment of section 17.—In section 17 of the principal Act, in sub-section (4), for the words, brackets and figure “not exceeding twice the amount of tax deductible under sub-section (1)”, the words, signs, brackets and figure “equal to the amount of tax deductible under sub-section (1),” shall be substituted.

9. Amendment of section 19.—In section 19, of the principal Act, in sub-section (2), for the words “as the case any be”, the words “as the case may be” shall be substituted.

10. Amendment of section 20.—In section 20 of the principal Act, in sub-section (3), for the words “not exceeding”, the word “of” shall be substituted.

11. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), in the Explanation, in part (i), for the word “October”, the word “December” shall be substituted.;
- (b) in sub-section (7), for the words and signs “may direct that the dealer shall pay by way of penalty, in addition to the amount so assessed, a sum which shall not be less than fifteen percentum, but which shall not exceed one and a half times that amount”, the words and signs “shall direct that the dealer shall pay by way of penalty, in addition to the amount of tax assessed, a sum equal to the amount of tax so assessed” shall be substituted.; and
- (c) in sub-section (9), for the word “therefore”, the word “therefor” shall be substituted.

12. Amendment of section 28.—In section 28 of the principal Act, in sub-section (1), after the words and sign “prescribed manner,”, the words and signs “after final determination of liability,” shall be inserted.

13. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (3), in clause (d), the words “the sale is” shall be omitted.; and
- (b) in sub-section (16), for the words “ which may extend to five thousand rupees”, the words “of two thousand rupees” shall be substituted, and thereafter, the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(17) If any dealer issues a false invoice or receives and uses an invoice knowing to be false, the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after affording such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, in addition to the tax to which he is assessed or is liable to be assessed, an amount equal to five thousand rupees or double the amount of tax involved in such invoice, whichever is greater.”.

14. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) The dealer shall be bound to disclose true, correct and complete information of his business regarding ascertainment of commencement of liability to pay tax under this Act and if he fails without sufficient cause to furnish such information or furnishes false or incorrect information to the officer specified under sub-section (1), or conceals any particulars of sales or purchases, the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, a sum equal to twenty five percentum of the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed.”.

15. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act,—

- (a) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2-A) The owner or the person-in-charge of a goods vehicle or vessel entering the territorial limits of the State or leaving the territorial limits of the State, shall,

for the purposes of this section, pass through only the nearest check post or barrier, failing which such owner or person-in-charge shall be liable to pay a penalty, equal to ten percentum of the value of goods or ten thousand rupees whichever is greater, in addition to any other penalty provided for in this section.”;

(b) in sub-section (4),—

(i) in the first proviso, for the words “not exceeding twenty-five percentum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen percentum”, the words “equal to fifty percentum” shall be substituted.; and

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that where the goods carried by such vehicle are, after their entry into the State, transported outside the State by any other vehicle or conveyance, the burden of proving that the goods have actually moved out of the State, shall be on the owner or person-in-charge of the vehicle or vessel.”;

(c) in sub-section (6), for the words and signs “or executing a bond with or without surities for securing the amount of tax, in the prescribed form and manner, for an amount not exceeding twenty-five percentum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen percentum of the value of the goods”, the words and signs “in the form of cash or bank guarantee or bank draft, equal to twenty-five percentum of the value of the goods” shall be substituted.;

(d) in sub-section (7), for the words “not exceeding twenty five percentum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen percentum of the value of the goods”, the words “equal to twenty-five percentum of the value of the goods” shall be substituted.; and

(e) after sub-section(11), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(12) Where any person-incharge of goods carriage or vessel fails to give information as required under sub-section (2) about the consignor or consignee of the goods, within such time as may be required by the Officer-Incharge of the check post or barrier or any other officer as specified under sub-section (2), or transport the goods without documents or without genuine documents, the officer not below the rank of Excise and Taxation Officer, shall, after affording such person-in-charge a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, an amount equal to ten percentum of the value of such goods.”.

Amendment of section 44.—In section 44 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(1) The State Government shall by notification, establish an appellate tribunal consisting of a Chairperson for the proper discharge of the functions conferred on the Tribunal by or under this Act.

(1A) The State Government may, by notification, appoint member(s) to the Tribunal as it may deem fit to the discharge of functions conferred on the Tribunal by or under this Act.”;

(b) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(5) All cases coming before the Tribunal shall be decided in accordance with the procedure as may be prescribed.”; and

(c) in sub-section (8), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the cases of the State shall be represented before the Tribunal by an officer not below the rank of Excise and Taxation Officer or by the Law Officer.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Since the coming into operation of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, necessity has been felt to streamline certain provisions of the Act to generally curb the tax evasion, to eliminate discretion, to improve the tax compliance, to rationalize and enhance penalties, and to bring more transparency in functioning of various authorities under the Act *ibid*. Further, it has also been considered essential to amend certain provisions of the Act to avert the instances of false claims of Input Tax Credit (ITC) and in relation to working of Tax Tribunal. Further “brick kiln owners” are being made entitled to avail of the facility of payment of presumptive tax. Thus, in order to achieve the above objectives, it has been decided to suitably amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla :

Dated :....., 2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved. The increase in the quantum of different penalties will improve tax compliance without any loss of revenue.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX, 2005 (ACT NO. 12 OF 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

SECTIONS :

7. Levy of presumptive tax.—Notwithstanding anything contained in this Act, every registered dealer, whose gross turnover in any year does not exceed such amount as may be prescribed, shall, in lieu of the tax payable under this Act, pay presumptive tax on the entire taxable turnover of sales or purchases, as the case may be, at such rates, not exceeding the rates specified in section 6, as the State Government may, by notification, direct, and subject to such conditions and restrictions and in such manner as may be prescribed:

Provided that no input tax credit shall be available to such dealer:

Provided further that no registered dealer, who imports goods for sale or use in manufacturing or processing any goods for sale, shall be entitled to make payment of presumptive tax under this section.

10. Power to amend Schedules.—The State Government, after giving by notification, not less than thirty days' notice of its intention to do so, may, by like notification, add to or delete from the Schedules 'A', 'B', 'C' or 'D' any goods, or otherwise amend these Schedules, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

11. Input tax credit.—(1) Subject to the provisions of this Act, the input tax credit which a purchasing registered dealer (hereinafter in this section called 'the purchasing dealer') may claim, in respect of taxable sales made by him during the tax period, shall be—

- (i) the amount of input tax paid or payable by such purchasing dealer to the selling registered dealer, on the turnover of purchases of such goods as have been sold by him during the tax period; and
 - (ii) calculated and allowed as provided in this section, and subject to such other conditions as may be prescribed.]
- (2) The purchasing dealer availing of the input tax credit shall maintain the tax invoices, the registers and the books of accounts in the manner as may be prescribed.
- (3) [Except the goods in respect of which input tax credit is not admissible under this Act or the rules made thereunder, the input tax credit shall be allowed to the purchasing dealer in respect of the turnover of purchases of such taxable goods as have been sold by him during the tax period, and to the extent of the amount of input tax paid by such purchasing dealer on the turnover of purchases of such taxable goods made by him in the State, from a registered dealer holding a valid certificate of registration, for the purposes of,—]
- (a) sale or re-sale of goods by him in the State; or
 - (b) sale in the course of inter-State trade or commerce; or
 - (c) sale in the course of export out of the territory of India; or

- (d) use as raw material or as capital goods in the manufacturing or processing of taxable goods for sale of the nature referred to in clauses (a), (b) or (c); or
- (e) use as containers or packing material of taxable goods for sale of the nature referred to in clauses (a), (b), (c) or (d):

Provided that if the goods so purchased are used partially for the purposes specified in this sub-section, the input tax credit shall be allowed proportionate to the extent these are used for the purposes specified in this sub-section:

Provided further that input tax credit on fuels and lubricants, shall be allowed only to the extent by which the amount of input tax paid in the State exceeds 4 percent subject to the condition that such fuels and lubricants are used in the manufacture of taxable goods or captive generation of power.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), the input tax credit shall be allowed only to the extent by which the amount of input tax paid in the State exceeds 4 percent on purchase of goods—

- (a) sent outside the State otherwise than by way of sale in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of territory of India; and
- (b) used in manufacture or in packing of taxable goods sent outside the State otherwise by way of sale in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of territory of India.

(5) The input tax credit shall not be claimed by the purchasing dealer until the tax period in which he receives from a registered dealer from whom he has purchased the goods, a tax invoice in the prescribed form (in original) evidencing the payment of amount of input tax:

Provided that for good and sufficient reasons, to be recorded in writing and in the prescribed manner, the Commissioner or any person appointed under section 3 may allow such credit subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(6) The input tax credit on capital goods shall be limited to plant and machinery directly connected with the manufacturing or processing of the finished goods and input tax credit as admissible under this section shall commence from the date of commencement of commercial production and shall be adjusted against tax payable on turnover of sales over a period of three years:

Provided that in case of closure of business before the period of three years, no further input tax credit shall be allowed and input tax carried forward, if any, shall be forfeited.

- (7) No input tax credit shall be claimed by a purchasing dealer and shall not be allowed to him for, —
 - (a) tax collected on the purchase of goods used in the manufacture or processing or packing of goods declared tax free under section 9;
 - (b) purchases of goods made in the course of inter-State trade or commerce or in the course of import of goods into the territory of India or import from outside the State, in respect of tax paid in any other country or other State;

- (c) purchase of goods made in the State from,—
 - (i) an un-registered dealer or a casual dealer, or
 - (ii) a dealer whose certificate of registration has been suspended, or
 - (iii) a registered dealer who has opted to pay lump-sum amount, in lieu of tax, by way of composition under sub-section (2) of section 16 or presumptive tax under section 7;
- (d) purchase of goods used as free samples or gift or for personal consumption;
- (e) goods purchased for the uses specified in sub-section (3) but not sold because of theft, loss or destruction for any reason including natural calamity;
- (f) purchase of capital goods other than those specified in sub-section (6);
- (g) stock of goods remaining unsold at the time of closure of business and if a dealer has already taken any input tax credit against purchase of such stock of goods there shall be a reverse tax credit on closure of such business;
- (h) save as provided in sub-section (4), tax collected on purchase of goods but subsequently despatched to a place outside the State in any manner otherwise than by way of sale in the course of inter-State trade or commerce;
- (i) save as provided in sub-section (4), tax collected on the purchase of goods used as raw material in the manufacture of goods, and the goods so manufactured are despatched outside the State in any manner otherwise than by way of sale in the course of inter-State trade or commerce;
- (j) purchase of goods for sale under the transfer of right to use goods for any purpose (whether for specified period or not);
- (k) purchases where,—
 - (i) tax invoice is not available with the registered dealer; or
 - (ii) there is evidence that the tax invoice has not been issued by the selling dealer from whom the goods have been or stated to have been purchased; or
 - (iii) original tax invoice does not contain the details of tax charged separately by the selling dealer from whom purchasing dealer has purchased the goods
[; and
- (l) the turnover of purchase of such goods which have not been sold during the tax period.]

(8) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, as may be prescribed, specify any goods in respect of which input tax credit shall not be allowed in part or in full or specify the class of dealers who shall not be entitled to input tax credit in part or in full.

(9) If the goods purchased [xxx] for the purposes specified in sub-section (3) and are subsequently used fully or partly for purposes other than those specified in the said sub-section, the input tax credit, if availed of, shall be reduced from the input tax credit being claimed for the tax period during which such use has taken place; and such reduction, shall be done in the manner as may be prescribed.

- (10) Subject to the provisions of this section, input tax credit already availed of shall stand reversed if, —
- (a) the dealer discontinues business; or
 - (b) the certificate of registration granted to the dealer is cancelled; or
 - (c) the goods fall under clause (d), (e) or (g) of sub-section (7); or
 - (d) excess input tax credit has been claimed; or
 - (e) the goods purchased are returned to the selling dealer within three months of the date of purchase of such goods; or
 - (f) the credit note has been received from selling registered dealer for the amount of tax charged in excess of the tax due according to the provisions of this Act; or
 - (g) there exist any other circumstances as may be prescribed.
- (11) The dealer shall be liable to pay such amount of reverse input-tax credit alongwith interest under section 19 from the date immediately succeeding the last date prescribed for filing the return for the period for which such input-tax credit was claimed till the date of its payment.
- (12) Where any purchasing dealer has been issued with a credit note or debit note or if he returns or rejects goods purchased, as a consequence of which the input tax credit availed of by him during any tax period (to which the purchase of goods relates) becomes either short or excess, he shall compensate such short or excess by adjusting the amount of input tax credit allowed to him in respect of the tax period in which the credit note or debit note has been issued or the goods are returned or rejected, subject to such conditions as may be prescribed.
- (13) The amount of net input tax credit, which may be availed of by a purchasing dealer, shall be determined on the basis of the following formula, namely:—

$$\text{Net Input Tax Credit} = A+B-C$$

Explanation— In this formula——

- (i) “A” represents the amount of input tax credit [which the purchasing dealer may be allowed under this section in respect of taxable sales made by him during the tax period];
 - (ii) “B” represents outstanding input tax credit brought forward from the previous tax period; and
 - (iii) “C” represents reverse input tax credit as determined under sub-section (10).
- (14) The methods that are used by a purchasing dealer in a year to determine the extent to which the goods are sold, used, consumed or supplied, or intended to be sold, used, consumed or supplied in the course of making taxable sales shall be fair and reasonable:

Provided that the Commissioner or any person appointed under section 3 may, after giving the dealer an opportunity of being heard and for the reasons to be recorded in writing, reject the method adopted by the purchasing dealer and calculate the amount of input tax credit.

- (15) Where a registered dealer without entering into a transaction of sale, issues to another registered dealer a tax invoice, retail invoice, bill or cash memorandum with the intention to defraud the State Government revenue or with the intention that the State Government may be defrauded of its revenue, the Commissioner or any person appointed under section 3 may, after making such inquiry as he thinks fit and giving a reasonable opportunity of being heard, deny the benefit of input tax credit to such registered dealer issuing or accepting such tax invoice, retail invoice, bill or cash memorandum or other invoice either prospectively or retrospectively from such date as he may fix.

14. Registration of dealers.—(1) No dealer shall, while being liable to pay tax under this Act, carry on business as a dealer unless he has been registered and possesses a registration certificate:

Provided that in the case of a casual dealer, on payment of a fee of Rs.50/-, the Assessing Authority or the Officer-Incharge of the check-post or barrier or any other officer inspecting the goods at any other place, may dispense with the requirement of a valid certificate of registration under this section.

(2) Any person intending to establish a business in Himachal Pradesh for the purpose of manufacturing goods for sale may, notwithstanding that he is not liable to registration under sub-section (1), be granted a registration certificate subject to such conditions and in the manner as may be prescribed, and such person when granted a registration certificate shall, for so long as such certificate is in force, be liable to pay tax under the Act:

Provided that grant of such a certificate of registration shall be subject to the conditions that if such person fails to establish the business within the period specified in the certificate or fails to comply with any of the conditions specified therein, he shall be liable by order of the Assessing Authority, to pay a penalty equivalent to one-half of the amount of tax which would have been payable by him in respect of all the goods purchased by him as if he had not been registered under this sub-section:

Provided further that a dealer who sells taxable goods, not liable to register under sub-section (1) but who desires to register voluntarily may make an application to the appropriate Assessing Authority in the manner as may be prescribed and shall pay tax only in accordance with section 4 from the date his gross turnover exceeds a taxable quantum as specified in sub-section (6) of section 4.

(3) Every dealer required by sub-section (1) to be registered and every person who may be granted a registration certificate under sub-section (2) shall make an application in this behalf in the prescribed manner, to the Assessing Authority.

(4) If the Assessing Authority is satisfied that an application for registration made under sub-section (3) is in order, he shall, in accordance with such rules and on payment of such fee and subject to such conditions as may be prescribed, register the applicant and grant him a certificate of registration in the prescribed form.

(5) When any dealer fails to apply for registration in contravention of sub-section (1), the Assessing Authority shall register such dealer and grant him a certificate of registration and such registration shall take effect as if it had been made under sub-section (4) on the dealer's application.

(6) The Assessing Authority may, by order, ——

- (a) amend certificate of registration on the dealer's application if the dealer or his legal representative furnishes the information that he—
 - (i) has transferred his business, or
 - (ii) has changed the name (constitution) or nature of his business, or
 - (iii) wants to open a new place of business or make any change either in the places of business or in the class or classes of goods specified in his certificate of registration for resale or for use in manufacture of goods for sale;
- (b) suspend a certificate of registration, without prejudice to any other penalty, if the dealer or person has violated any provision of this Act or rules made thereunder;
- (c) cancel a certificate of registration, on dealer's or, as the case may be, of his legal representative's application or suo-moto, without affecting liability to pay tax till such cancellation,-
 - (i) if the dealer sells or otherwise disposes of his business or any place of business or discontinues his business, or
 - (ii) if the dealer dies, or
 - (iii) for any other sufficient cause including misuse of the certificate of registration or cessation of liability to payment of tax under this Act:

Provided that no order affecting any person adversely shall be made under clauses (b) and (c) of this sub-section without affording him a reasonable opportunity of being heard; and

- (d) renew a certificate of registration for such period and in the manner and on payment of such fee as may be prescribed.

15. Security from certain class of dealers.—(1) The Commissioner or any other person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3, if it appears to him to be necessary so to do for the proper realisation of the tax levied under this Act, may, for reasons to be recorded in writing, impose as a condition of the issue of a certificate of registration to a dealer, or of the continuance in effect of such certificate issued to any dealer, a requirement that the dealer shall give security, in the manner as may be prescribed, for such amount as may be specified in the order.

(2) No dealer shall be required to furnish security under sub-section (1), unless he has been given an opportunity of being heard.

(3) Where the security furnished by a dealer under sub-section (1) is in the form of a surety bond and the surety becomes insolvent or is otherwise incapacitated or dies or withdraws, the dealer shall, within fifteen days of the occurrence of any of the aforesaid events, inform the Authority granting the certificate of registration and shall within thirty days of such occurrence furnish a fresh surety bond.

(4) The Authority granting the certificate of registration may, by an order in writing, for good and sufficient cause, forfeit the whole or any part of the security furnished by a dealer for realising any amount of tax, penalty or interest payable by a dealer:

Provided that no order shall be passed under this sub-section without giving the dealer and the surety a reasonable opportunity of being heard.

(5) The Authority granting a certificate of registration may, on application by the dealer, order the refund of security furnished by him or any part thereof, if the same is not required for the purposes of this Act.

16. Payment of tax and returns.—(1) Tax payable under the Act shall be paid in the manner hereinafter provided at such intervals as may be prescribed.

(2) The State Government may, in public interest and subject to such conditions as it may deem fit, accept from any class of dealers in lieu of the amount of tax payable under this Act for any period, by way of composition, a lumpsum to be determined and to be paid at such intervals and in such manner as may be prescribed, or the lumpsum amount may be calculated at a fixed rate on the taxable turnover, as may be prescribed in respect of such class of dealers and for this purpose a simplified system of registration, maintenance of accounts, filing of returns may also be prescribed which shall remain in force during the period of such composition.

(3) Such dealers as may be required so to do by the Assessing Authority by notice served in the prescribed manner and every registered dealer shall furnish such returns by such dates and to such Authority as may be prescribed.

(4) Before a registered dealer furnishes the return required by sub-section (3), he shall, in the prescribed manner, pay into a Government Treasury or the Scheduled Bank which is a treasury bank, or at the office of the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer-in-charge of the District, the full amount of tax due from him under the Act according to such returns and shall furnish along with the returns a receipt from such treasury, bank or office of the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer-in-charge of the District showing the payment of such amount:

Provided that no payment of such amount shall be accepted at the office of the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer-in-Charge of the District save through a crossed cheque or bank draft payable at a local branch of a Scheduled Bank in favour of the Assessing Authority:

Provided further that when a dealer makes payment through a Scheduled Bank other than the treasury bank, he shall obtain from such bank a certificate, as may be prescribed, to the effect that the bank has remitted the amount of tax to the treasury bank on the dealer's directions and on production of such certificate to the Assessing Authority the dealer shall be deemed to have paid the tax on the date following the date on which such certificate is issued by such bank:

Provided further that in case of payment through a Scheduled Bank which is located at a station other than that of the treasury bank, the dealer shall need to procure the prescribed certificate from the concerned bank, as mentioned under the preceding proviso, at least three days before the expiry of the due date prescribed under sub-section (2) for filing the return and only in that case the dealer shall be deemed to have made the payment by due date:

Provided further that where the payment is made through a crossed cheque, such crossed cheque must be delivered in the office of the Assessing Authority concerned, not less than ten clear days before the expiry of the due date prescribed under sub-section (3) for filing the return, and the dealer shall be deemed to have made the payment on the date on which such crossed cheque, after its presentation in the bank, is actually credited into the Government account and necessary receipt is issued by the bank in favour of the dealer:

Provided further that where the payment is made through a crossed cheque and the cheque is dishonoured, the dealer shall be deemed to have not made the payment and shall be liable to any action which may be taken for not making payment under this Act or the rules framed thereunder.

Explanation.—For the purposes of this sub-section “Scheduled Bank” means a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934.

Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(5) If any dealer discovers any omission or other error in any return furnished by him, he may, at any time, before the date prescribed for the furnishing of the next return by him, furnish a revised return, and if the revised return shows a greater amount of tax to be due than was shown in the original return, it shall be accompanied by a receipt showing payment, as may be prescribed, in sub-section (4), of extra amount.

(6) If a dealer fails without sufficient cause to furnish the returns by the prescribed date as required under sub-section (3), the dealer shall be liable to pay, by way of penalty, a sum equal to Rs.25/- per day for delay in furnishing such return upto 10 days, whereafter the penalty shall be Rs.50/- per day till the default continues, but such penalty shall not exceed Rs.3000/- provided that where no tax is payable, such penalty shall not exceed Rs.500/-for every return.

(7) If a dealer fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (4), the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, a sum which shall not be less than ten per centum, but which shall not exceed one-and-a-half times of the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed under section 21 in addition to the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed.

(8) If a dealer has maintained false or incorrect accounts with a view to suppressing his sales, purchases or stocks of goods, or has concealed any particulars of his sales or purchases or has furnished to, or produced before, any Authority under this Act or the rules made thereunder any account, return or information which is false or incorrect in any material particular, the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after affording such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty in addition to the tax to which he is assessed or is liable to be assessed, an amount which shall not be less than twenty-five per centum, but which shall not exceed one and a half times of the amount of tax to which he is assessed.

17. Tax deduction from the bills or invoices of the works contractors etc.—(1) Notwithstanding anything contrary contained in section 20, every person making any payment or discharge or any liability on account of valuable consideration payable—

- (a) for the transfer of property in goods, whether as goods or in some other form, involved in the execution of works contract, and

- (b) for the transfer of property in goods on account of sales of such goods made to the Government of India or to any State Government, shall deduct an amount not exceeding four per centum, as may be prescribed, purporting to be a part or full of the tax payable on such sales, from the bills or invoices raised by the works contractor or by the dealer selling such goods, as payable by the person:

Provided that no deduction of such amount shall be made in respect of any transfer of property in goods, the turnover of which is deductible, from the dealer's gross turnover, under sub-section (3) of section 6:

Provided further that no such payment or discharge of any bill raised by the works contractor of the dealer selling such goods shall be made without deductions:

Provided further that if the State Government is satisfied that it is necessary to do so in the interest of the State revenue, it may notify the names/posts of such persons who shall be competent persons to make such deduction.

(2) The deduction referred to in sub-section (1) shall be made in the manner, as may be prescribed, and the payment of such deduction into the Government treasury shall be the responsibility of the person making such deduction.

(3) The person making such deduction shall issue deduction certificate in the prescribed manner to the person or dealer from whose bill or invoice, such deduction has been made.

(4) If any person contravenes any or all of the provisions of sub-section (1) or (2) or (3), the prescribed Authority shall, after giving an opportunity of being heard, by an order, in writing, direct that such person shall pay by way of penalty, a sum not exceeding twice the amount of tax deductible under sub-section (1).

(5) The provisions of sections 25 and 27 for recovery of any amount of tax due from a dealer shall mutatis mutandis apply for recovery of any amount of tax, deducted and / or any penalty imposed but not deposited under this section.

19. Payment of interest.—(1) If any dealer fails to pay the amount of tax due from him under this Act except to the extent mentioned in sub-section (2), he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple interest on the amount of tax due and payable by him at the rate of one per centum per month, from the date immediately following the last date on which the dealer should have either filed the return or paid the tax under this Act, for a period of one month and thereafter at the rate of one and a half per centum per month till the default continues.

(2) If the amount of tax or penalty due from a dealer is not paid by him within the period specified in the notice of demand or, if no period is specified within thirty days from the service of such notice, the dealer shall, in addition to the amount of tax or penalty, be liable to pay simple interest on such amount at the rate of one per centum per month from the date immediately following the date on which the period specified in the notice or the period of thirty days, as the case may be, expires, for a period of one month and thereafter at the rate of one and a half per centum per month till the default continues:

Provided that where the recovery of any tax or penalty is stayed by an order of any court, the amount of tax or penalty shall, after the order of stay is vacated, be recoverable alongwith interest at the aforesaid rate on the amount ultimately found to be due and such interest shall be payable from the date the tax or penalty first became due.

- (3) The amount of interest payable under this section shall—
- (i) for the purposes of collection and recovery, be deemed to be tax under this Act; and
 - (ii) be in addition to the penalty, if any, imposed under this Act.

20. Prohibition against collection of tax in certain cases.—(1) No person shall collect any sum by way of tax in respect of sale or purchase of any goods on which no tax is payable under this Act.

(2) No person, who is not a registered dealer and liable to pay tax in respect of any sale or purchase, shall collect on the sale or purchase of any goods any sum by way of tax from any other person and no registered dealer shall collect any amount by way of tax in excess of the amount of tax payable by him under this Act.

(3) If any person, or a dealer referred to in sub-section (1) and (2) contravenes any of these provisions he shall be liable to pay, in addition to any tax for which he may be liable, a penalty of an amount not exceeding five hundred rupees, or double the amount so collected, whichever is greater.

(4) If the Commissioner, or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3, in the course of any proceedings under this Act or otherwise, has reason to believe that any person has become liable to pay penalty under sub-section (3), he shall serve on such person a notice in the prescribed form requiring him to show cause why a penalty as provided in sub-section (3) should not be imposed on him and there upon hold an enquiry and shall make such order as he thinks fit.

21. Assessment of tax.—(1) The returns furnished by a dealer shall be duly acknowledged in the manner prescribed and where all the returns relating to any year have been filed and are correct and complete in material particulars, the dealer shall, subject to the provisions of sub-section (2), be deemed to have been assessed for that year:

Provided that where the returns are not complete in material particulars, the dealer shall be given an opportunity to complete the same within fifteen days of service of the notice.

Explanation.— For the purpose of sub-section (1) a return shall be deemed to be—

- (i) correct, if its version conforms to that of the accounts maintained by the dealer and the account version cannot be impeached by any adverse information available on record till 31st October of the following year; and
- (ii) complete, in material particulars, if it contains the entire information required to be furnished therein, is correct arithmetically and is accompanied by the statutory or prescribed lists, documents and proof of payment of the full amount of tax due according to the returns and is duly signed by the dealer.

(2) The State Government may prescribe the manner of selection of cases for scrutiny of returns filed by the dealers specified in sub-section (1) and the Assessing Authority shall, in respect of each selected case, serve on the dealer a notice in the prescribed manner requiring him, on a date and at a place specified therein, either to attend in person or to produce or cause to be produced any evidence on which such dealer may rely in support of the returns filed by him under sub-section (1) and after hearing the dealer and considering the evidence produced by him assess the amount of tax, if any, due from him.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government considers it necessary and expedient, in public interest so to do, it may in respect of a dealer, whose gross turnover in a year does not exceed such amount as the Government may specify, in a special scheme of self-assessment for any year which may be notified, under this Act:

Provided that in case any dealer, whose taxable turnover has been assessed under the self-assessment scheme, is found to have evaded the tax, the Assessing Authority shall, after affording such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, in addition to the amount of tax assessed, a sum which shall not be less than one hundred per centum but which shall not exceed one and a half times of the amount of tax found to have been evaded and assessed.

(4) The Assessing Authority shall serve on the dealer not covered under sub-section (1) a notice in the prescribed manner requiring him, on a date and at a place specified therein, either to attend in person or to produce or cause to be produced any evidence on which such dealer may rely in support of such returns and after hearing such evidence as the dealer may produce, and such other evidence as the Assessing Authority may require on specified points, assess the amount of tax due from the dealer.

(5) If a dealer, having furnished returns in respect of a period, fails to comply with the terms of a notice issued under sub-section (2) or (4), the Assessing Authority shall, within five years after the expiry of such period, proceed to assess to the best of his judgment the amount of the tax due from the dealer.

(6) If a dealer does not furnish returns in respect of any period by the prescribed date, the Assessing Authority shall, within five years after the expiry of such period, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, proceed to assess, to the best of his judgment, the amount of tax, if any, due from the dealer.

(7) If upon information which has come into his possession, the Assessing Authority is satisfied that any dealer has been liable to pay tax under this Act in respect of any period but has failed to apply for registration, the Assessing Authority shall, within five years after the expiry of such period, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, proceed to assess, to the best of his judgment, the amount of tax, if any, due from the dealer in respect of such period and all subsequent period and in cases where such dealer has wilfully failed to apply for registration, the Assessing Authority may direct that the dealer shall pay by way of penalty, in addition to the amount so assessed, a sum which shall not be less than fifteen per centum, but which shall not exceed one and a half times that amount.

(8) The amount of any tax, penalty or interest payable under this Act shall be paid by the dealer by such date as may be specified in the notice issued by the Assessing Authority for the purpose and the date so specified shall not be less than fifteen days and not more than thirty days from the date of service of such notice:

Provided that the Assessing Authority may, with the prior approval of the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer in-charge of the district, extend the date of such payment, but not more than 90 days, or allow payment by monthly instalments not exceeding three, against an adequate security or a bank guarantee.

(9) If the tax assessed under this Act or any instalment thereof is not paid by any dealer within the time specified therefore in the notice of assessment or in the order permitting payment in instalments, the Commissioner, or any person appointed to assist him under sub-section (1) of

section 3, may after giving such dealer an opportunity of being heard, impose on him a penalty not exceeding the sum due from him.

(10) Any assessment made under this section shall be without prejudice to any penalty imposed under this Act.

28. Refund.—(1) The Assessing Authority either suo-moto or on an application shall, in the prescribed manner, refund to a registered dealer or any other person any amount of tax, interest or penalty paid by such dealer or any such other person under this Act, if the amount of tax, penalty or interest so paid is in excess of the amount due from him under this Act, either by a refund voucher or, at the option of the dealer or such other person, by adjustment of the amount so paid with the amount due from him, in respect of any other period:

[Provided that an application for refund of any excess amount of input tax credit under sub-section (4) of section 12, may be made by a registered dealer after the expiry of a quarter of the year and where the Assessing Authority finds that the returns for the tax period are correct and complete, it shall in the prescribed manner refund to such registered dealer the excess amount of input tax credit or allow it to be carried forward to the next tax period:

Provided further that where any investigation, scrutiny, inspection or audit or other enquiry is pending against the registered dealer, and the officer authorised to sanction the refund is of the opinion that the payment of such refund is likely to adversely affect the revenue which may become due from such registered dealer at the conclusion of such investigation, scrutiny, inspection or audit or other enquiry, he may, for reasons to be recorded in writing, either refund the amount of excess input tax credit subject to furnishing of a security equal to the amount to be refunded to such registered dealer or withhold the refund till such time the proceedings are concluded:]

Provided further that no refund under this section shall be allowed unless the claim for refund is made within a period of three years from the date on which such claim accrues.

(2) Where any amount required to be refunded by the Assessing Authority to any person by virtue of an order sanctioning such refund issued under this Act is not refunded to him within ninety days of the date of the order, the dealer shall be entitled to get simple interest on such amount at the rate of one percentum per month from the date immediately following the date of expiry of the said period for a period of one month and thereafter at the rate of one and a half percentum per month till the refund is made.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or (2), the Assessing Authority shall first adjust the amount to be refunded towards the recovery of any amount due from the dealer on the date of such adjustment, and shall thereafter refund the balance, if any.

(4) If the delay in allowing refund within the aforesaid period of ninety days is for reasons beyond the control of the Assessing Authority or attributable to the dealer, whether wholly or in part, the period of such delay shall be excluded from the period for which interest is payable.

(5) If any question arises whether any period is to be excluded for the purposes of calculation of interest under sub-section (4), the same shall be referred to the Commissioner, or such other officer as the State Government may, by notification, appoint, whose decision shall be final.

(6) Where an order allowing refund is the subject-matter of any appeal or further proceedings or where any other proceedings under this Act are pending, and the Assessing Authority is of the opinion that the refund is likely to adversely affect the recovery, the Assessing Authority may withhold the refund and refer the case to the Commissioner whose orders shall be final.

(7) The period during which the refund remains withheld under sub-section (6) shall be excluded for the purpose of calculation of interest under this section.

30. Tax invoice, retail invoice etc.—(1) The tax invoice shall contain such particulars as are specified in this section and shall be issued by one registered dealer to another dealer (whether registered or not) on the basis of which the purchasing registered dealer shall be entitled to claim input tax credit.

(2) Every registered dealer making a taxable sale to another dealer (whether registered or not) shall issue to such purchasing dealer a tax invoice, at the time of sale, containing such particulars as specified in sub-section (5), and retain a copy thereof.

(3) The tax invoice shall not be issued by the registered dealer when the sale is—

- (a) by a registered dealer paying presumptive tax under section 7 or lumpsum under sub-section (2) of section 16 of this Act; or
- (b) of goods declared tax free under section 9 of this Act; or
- (c) in the course of *inter-State* trade and commerce; or
- (d) the sale is in the course of export out of the territory of India;

(4) For every taxable sale only one invoice shall be issued.

(5) The tax invoice issued under sub-section (2) shall contain the following particulars, namely:—

- (a) the words ‘Tax Invoice’ in bold letters at the top or at other prominent place;
- (b) the name, address and number of certificate of registration of the selling registered dealer;
- (c) the name, address and number of certificate of registration of the purchasing registered dealer;
- (d) serial number and the date on which the tax invoice is issued;
- (e) description, quantity, volume and value of goods sold, and amount of tax involved shown separately;
- (f) signatures of the selling dealer or his servant, manager or agent, duly authorized by him; and
- (g) the name and address of the printer.

(6) Except where tax invoice is required to be issued under sub-section (2), every registered dealer who sells any goods exceeding two hundred rupees, in any one transaction, to any person, he shall issue to the purchaser a retail invoice containing the particulars specified in sub-section (7), and retain a copy thereof.

(7) The retail invoice shall contain the following particulars, namely:—

- (a) the words ‘Retail Invoice’ or ‘Cash Memo-random’ or ‘Bill’ in bold letters at the top or at a prominent place;

- (b) the name, address and number of certificate of registration of the selling registered dealer;
- (c) in case the sale is in the course of inter-State trade or commerce or export out of the territory of India, the name, address and registration number, if any, of the purchasing dealer/foreign buyer and the type of statutory form, if any, against which the sale has been made;
- (d) serial number and the date on which the retail invoice is issued;
- (e) description, quantity, volume and value of goods sold, amount of tax involved, if any ;
- (f) signature of the selling dealer or his servant, manager or agent, duly authorized by him; and
- (g) the name and address of the printer.

(8) Every registered dealer shall intimate, in writing, to the Assessing Authority, the total number of the tax invoices and the retail invoices got printed and kept for use by him during each year.

(9) The tax invoice shall be issued in triplicate and the original alongwith second copy shall be given to the purchaser or the person taking delivery of the goods, as the case may be, and the third copy shall be retained by the selling dealer.

(10) The retail invoice shall be issued in duplicate and the original copy shall be given to the purchaser and the second copy shall be retained by the selling dealer.

(11) Where tax invoice or retail invoice are not required to be issued, every registered dealer shall issue such other invoice as may be prescribed.

(12) Every dealer shall preserve books of accounts including tax invoices and retail invoices until the expiry of five years after the end of the year to which they relate or for such other period as may be prescribed or until the assessment attains its finality whichever is later.

(13) Where any dealer is a party to any appeal or revision under this Act or any other proceeding, he shall retain every record and accounts which pertain to the subject matter of such appeal, revision or other proceeding, until it is finally disposed of.

(14) Every dealer who maintains the records electronically shall also maintain day to day print-out of all such records and shall retain them for the period specified in sub-section (12), or, as the case may be, in sub-section (13).

(15) The State Government may, by notification, in public interest, exempt any class of the registered dealers from the provisions contained in sub-sections (2) to (14).

(16) Where any dealer contravenes the provisions of sub-sections (2) to (14), the Commissioner or any other person appointed under section 3 may, after affording such dealer a

reasonable opportunity of being heard, impose upon him a penalty which may extend to five thousand rupees for every contravention.

33. Power of survey. —(1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, any Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer appointed to assist the Commissioner under sub-section (1) of section 3 or an Excise and Taxation Inspector, duly authorized by the Commissioner may, for the purpose of survey regarding ascertainment of commencement of liability to pay tax for registration under section 14 of this Act, and extent of business, enter—

- (a) any place within the limits of the area assigned to him, or
- (b) any place occupied by any dealer in respect of which he exercises jurisdiction,

at which the dealer carrying on the business, keeps any of his books of accounts or other documents or any part of his cash relating to the sale or purchase of goods or stock of goods relating to his business and require any dealer, employee or any other person who may at that time and place be attending in any manner to, or helping in carrying on of such business—

- (i) to afford him the necessary facility to inspect such books of accounts or other documents as he may require and which may be available at such place,
- (ii) to afford him the necessary facility to check or verify the cash and stock of goods which may be found therein, and
- (iii) to furnish such information including such statement as he may require as to any matter which may be useful for, or relevant to, any proceedings under this Act.

(2) For the purpose of sub-section (1), no entry in the dwelling house shall be made—

- (i) after sunset or before the sunrise;
- (ii) by any officer below the rank of an Excise and Taxation Officer; and
- (iii) without obtaining the sanction of the District Magistrate within whose jurisdiction such house is situated.

34. Establishment of check-posts or barriers and inspection of goods in transit.—(1) If, with a view to preventing or checking evasion of tax under this Act, the State Government considers it necessary so to do, it may, by notification direct the establishment of a check post or the erection of a barrier or both at such place or places as may be notified.

(2) The owner or person in-charge of a goods carriage or vessel shall carry with him a goods carriage record, a trip sheet or a log book, as the case may be, and a tax invoice or a bill of sale or a delivery note containing such particulars as may be prescribed, in respect of such goods, meant for the purpose of business, and produce the same before an officer in-charge of a check post or barrier or any other officer not below the rank of an Excise and Taxation Inspector checking the vehicle or vessel at any place.

(3) At every check post or barrier or at any other place when so required by any officer referred to in sub-section (2), the driver or any other person-in-charge of the [goods carriage] or vessel, shall stop the vehicle or vessel, as the case may be, and keep it stationary as long as may reasonably be necessary, and allow the officer-in-charge of the check post or barrier or the aforesaid officer to examine the contents in the vehicle or vessel and inspect all records relating to the goods carried which are in the possession of such driver or other person-in-charge, who shall

also furnish such other information as may be required by the aforesaid officer, and if considered necessary such officer may also search the [goods carriage] or vessel and the driver or other person-in-charge of the vehicle or vessel or of the goods.

(4) The owner or person-in-charge of a goods carriage or vessel entering the limits of State or leaving the State limits shall also give in triplicate a declaration (generated electronically or otherwise) containing such particulars of goods carried in such vehicle or vessel, as the case may be, before the officer-in-charge of the check post or barrier and shall produce the copy of the said declaration duly verified and returned to him by the said officer or before any other officer referred to in sub-section (2) at the time of checking under this section:

Provided that where a goods carriage or vessel bound for any place outside the State passes through the State, the owner or person-in-charge of such vehicle or vessel shall furnish, in duplicate, to the officer-in-charge of the check post or barrier of his entry into the State a declaration in the prescribed form and obtain from him a copy duly verified. The owner or person-in-charge of the goods carriage or vessel, as the case may be, shall deliver within seventy two hours the said copy to the officer-in-charge of the check post or barrier at the point of its exit from the State, failing which he shall be liable to pay a penalty to be imposed by the officer-in-charge of the check post or barrier of the entry not exceeding twenty-five percentum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen percentum of the value of the goods:

Provided further that no penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

(5) At every station of transport of goods, bus stand or any other station or place of loading or unloading of goods, other than a rail head or a Post Office, when so required by the Commissioner, or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3, the driver or the owner of goods carriage or the employee of a transport company or goods booking agency shall produce for examination transport receipt and all other documents and account books concerning the goods carried, transported, loaded, unloaded, consigned or received for transport (maintained by him in the prescribed manner). The Commissioner or the person so appointed shall, for the purpose of examining that such transport receipts or other documents or account books are in respect of the goods carried, transported, loaded, unloaded, or consigned or received for transport, have the powers to break open any package or packages of such goods.

(6) If the officer-in-charge of the check post or barrier or other officer as mentioned in sub-section (2) has reasons to suspect that the goods under transport are meant for business and are not covered by proper and genuine documents as mentioned in sub-section (2) or sub-section (4), as the case may be, or that the person transporting the goods is attempting to evade payment of tax due under this Act, he may, for reasons to be recorded in writing and after hearing the said person, but subject to previous approval of the Excise and Taxation Officer Incharge of the barrier order the unloading or detention of the goods, for such period as may reasonably be necessary and shall allow the same to be transported only on the owner of goods or his representative or the driver or other person in-charge of the goods carriage or vessel on behalf of the owner of the goods, furnishing to his satisfaction a security or executing a bond with or without sureties for securing the amount of tax, in the prescribed form and manner, for an amount not exceeding twenty-five percentum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen percentum of the value of the goods:

Provided that where any goods are detained a report shall be made immediately and in any case within twenty four hours of the detention of the goods by the officer detaining the goods to the Assistant Excise and Taxation Commissioner incharge of the District or the Excise and Taxation

Officer incharge of the District or barrier, as the case may be, seeking the latter's permission for the detention of the goods for a period exceeding twenty-four hours, as and when so required and if no intimation to the contrary is received from the latter the former may assume that his proposal has been accepted.

(7) The officer detaining the goods shall record the statement, if any, given by the owner of the goods or his representative or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel and shall require him to produce proper and genuine documents as referred to in sub-section (2) or sub-section (4), as the case may be, before him in his office on a specified date on which date the officer shall submit the proceeding along with the connected records to such officer as may be authorised in that behalf by the State Government for conducting necessary enquiry in the matter. The said officer shall, before conducting the enquiry, serve a notice on the owner of the goods and give him an opportunity of being heard and if, after the enquiry, such officer finds that there has been an attempt to evade the tax due under this Act, he shall, by order, impose on the owner of the goods a penalty not exceeding twenty-five percentum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen percentum of the value of the goods, and in case he finds otherwise, shall order the release of the goods.

(8) If the owner of the goods or his representative or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel does not furnish security or does not execute the bond as required by sub-section (6) within ten days from the date of detaining the goods or goods carriage or vessel, the officer referred to in that sub-section may order further detention of the goods and in the event of the owner of the goods not paying the penalty imposed under sub-section (7) within twenty days from the date of the order imposing the penalty, the goods detained shall be made liable to be sold by the officer, who imposed the penalty, for the realisation of the penalty by public auction as may be prescribed. If the goods detained are of a perishable nature or subject to speedy or natural decay or when the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value the officer – in-charge of the check post or barrier or any other officer referred to in sub-section (2), as the case may be, shall immediately sell such goods or otherwise dispose them of. The sale proceeds shall be deposited in the Government treasury and the owner of the goods shall be entitled to only the balance amount of sale proceeds after deducting the expenses and other incidental charges incurred in detaining and disposing of the goods.

(9) The officer detaining the goods shall issue to the owner of the goods or his representative or the driver or the person-in –charge of the goods carriage or vessel receipt specifying the description and quantity of the goods so detained and obtain an acknowledgement from such person or if such person refuses to give an acknowledgment, record the fact of refusal in the presence of the two witnesses.

(10) If the order of detention of goods under sub-section (6) or of imposition of penalty under sub-section (7) or sub-section (8) is in the meantime set aside or modified in appeal or other proceedings, the Officer detaining the goods and imposing the penalty, as the case may be, shall also pass consequential orders for giving effect to the orders in such appeal or other proceedings as the case may be.

(11) No dealer or any person, including a carrier of goods or agent of a transport company or booking agency acting on behalf of a dealer, shall take delivery of, or transport, from any vessel, station, airport or any other place, whether of similar nature or otherwise, any consignment of goods other than personal luggage or goods for personal consumption, the sale or purchase of which is taxable under this Act, except in accordance with such conditions as may be prescribed with a view to ensuring that there is no evasion of the tax imposed by or under this Act:

Provided that no place which is a railhead or post-office shall be so notified by the State Government.

Explanation-I.—In this section the expression ‘goods carriage’ has the same meaning as is assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988. (Central Act No. 59 of 1988)

Explanation-II.—For the purposes of sub-section (2), the goods meant for the purposes of personal consumption shall not be construed as meant for the purposes of business.

Explanation-III.—For purposes of sub-section (7), service of notice on the representative of the owner or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel shall be deemed to be a valid service on the owner of the goods.

44. Tribunal.—(1) The State Government shall by notification, establish an appellate tribunal consisting of a Chairperson and as many members as the Government may, from time to time, deem fit for the proper discharge of the functions conferred on the Tribunal by or under this Act.

(2) The Chairperson and the member shall possess such qualification as may be rescribed, and their terms of office shall be such as may be prescribed.

(3) The tenure of the Chairperson and members shall ordinarily be four years which may be extended by the State Government, by such period as it may think fit, but shall not be beyond the age of 62 years in any case.

(4) The salary, allowances and conditions of service of the Chairperson and other embers of the tribunal, shall be such as may be prescribed.

(5) All cases coming before the tribunal shall be decided by a bench according to the opinion of the majority, and in any case where the Chairperson and the members are divided in their opinion on any point or points, they shall state the point or points on which they differ and refer the case for hearing by a bench consisting of,—

- (i) the Chairperson and the member who first heard it; and
- (ii) an additional co-opted member who is serving and qualified to be appointed as member under sub-section (2), and such case shall be decided in accordance with the opinion of the majority of members of the bench:

Provided that the additional member shall cease to hold the office on the disposal of the case.

(6) Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the tribunal may award costs and the amount of such costs which remains unpaid after the due date, shall be recoverable from the person ordered to pay the same as arrears of Land Revenue.

(7) The seal of the tribunal and the procedure to be followed by it shall be such as the State Government may prescribe.

- (8) The State Government may appoint such officers and officials, as may be required, to assist the tribunal in the discharge of its functions under this Act:

Provided that the cases of the State shall be represented before the Tribunal by an officer not below the rank of Assistant Excise and Taxation Commissioner (Legal).